सम्पादकीय

मेल मिलाप का पर्व

हमारे जितने भी राष्ट्रीय पर्व हैं एकता, भाईचारे और सद्भाव के प्रतीक हैं। होली भी एक ऐसा ही पर्व है जो नैसर्गिक सुषमा के मनभावन रंग बिखेरता हुआ स्नेह और सौहार्द का संदेश देता हुआ दिलों के मैल धो देता है। उमंग और उल्लास का यह पर्व अपनी इन्द्रधनुषी छवि में हमारी गरिमामय संस्कृति का वास्तविक प्रतीक है। न सिर्फ यह कलुष पर प्रकाश की, असत्य पर सत्य की, पाप पर पुण्य की विजय का द्योतक है, अपितु छोटे-बड़े, अपने-पराये और जात-पांत के भेदभाव को दूर करने वाला तथा मेल मिलाप का त्योहार है।

जब ऐसे पर्व आते हैं तो दिल में सहज ही विचार उठता है कि हमारे सरीखे विपुल सांस्कृतिक विरासत वाले देश में सम्प्रदायवाद और क्षेत्रवाद पर आधारित तथा भाषायी विवाद जन्य संकुचित दृष्टिकोण क्यों देखने को मिलते हैं, इन्हें पनपने और बढ़ने का अवसर कैसे मिलता है? समूचे विश्व को शांति और भाईचारे का पाठ पढ़ाने और "वसुधैव कुटुम्बकम्" का संदेश देने वाले हम भारतीय अपने महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग से क्यों विचलित हो रहे हैं? संकीर्ण मनोवृत्तियों को बढ़ावा क्यों मिल रहा है? नफरत चाहे वह धर्म की वजह से है या भाषा अथवा क्षेत्र के कारण, आखिर क्यों बढ़ रही है?

इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए हमें दूर नहीं जाना है, स्वयं अपने दिलों में झांकना है और फिर यह दृढ़ संकल्प करना है कि हमें प्रागण में नफरत और अशांति फैलाने वाले तत्वों और विघटनकारी शक्तियों का मुकाबला करना है। ये राष्ट्र के मनोबल को खोखला करने वाले और हमारे विकास प्रयासों में अड़चन डालने वाले तत्व हैं। जो भी लोग धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर वैमनस्य पैदा करते हैं, वे देश के दुश्मन हैं। इनके प्रति हमें उदासीन नहीं रहना है, बल्कि इनका पर्दाफाश कर इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना है।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पिछले दिनों में "सामाजिक न्याय का स्वरूप" विषय पर अपने भाषण में ठीक ही कहा था कि "प्रगति के सबसे बड़े दुश्मन वे हैं, जो साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ाते हैं और हिंसावादी, पृथकतावादी तथा वर्गवादी आंदोलन छेड़ते हैं। सरकार ऐसे विघटनकारी तत्वों से दृढ़ता के साथ निपटने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकारी प्रयत्नों में नागरिकों और नेताओं का सहयोग जरूरी है।"

राष्ट्रीय एकता परिषद में भी प्रधानमंत्री ने विचार व्यक्त किया था कि "अधिकांश दंगे मुट्ठी भर व्यक्तियों अथवा कभी-कभी एक ही व्यक्ति द्वारा भड़काए जाते हैं। किन्तु अविश्वास या पूर्वग्रह के वातावरण की वजह से अथवा जाति, धर्म या भाषा के प्रति संकीर्ण लगाव के कारण व्यक्तिगत झगड़े सामूहिक संघर्ष में बदल जाते हैं।"

जैसा कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, हर देशवासी को विघटनकारी, पृथकतावादी और वर्गवादी शक्तियों के घिनौने प्रयासों से निपटने में सरकार के हाथ मजबूत करने में भरसक सहयोग देना चाहिए। होली से अच्छा ऐसा कौन सा अवसर है, जब हम सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद, वर्गवाद, छुआछूत, वैर, द्वेष आदि विभिन्न संकीर्ण किन्तु घातक प्रवृत्तियों के विरुद्ध अपना दायित्व निभाने का संकल्प लें। होली को मनाने और उससे प्रेरणा लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है।☐

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण पुर्ननिर्माण का प्रमुख मासिक

वर्ष 26 | फाल्गुन–चैत्र 1902–1903 | अंक 5

इस अंक में : पृष्ठ संख्या

पिछला वर्ष निर्भीक निर्णयों का वर्ष : चालू वर्ष नए निश्चयों का वर्ष 2

महिला मंडल और युवक मंडल : एक मूल्यांकन 3
वी० विजयलक्ष्मी

बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास योजनाओं का मूल्यांकन 6
श्रीराम मिश्र

मध्य प्रदेश का कृषि विकास और कृषि पुनर्वित्त निगम 8
प्रो० सरदार सिंह पंवार

भूमि उपयोग में सही दिशा की तलाश 10
राधामोहन श्रीवास्तव

आदिवासियों का विकास यथार्थवादी दृष्टिकोण आवश्यक 11
दीनानाथ दुबे

ले आए हैं ढूंढ़ कर ऊर्जा के नए स्रोत 13
कुलदीप शर्मा

शामगढ़ की कहानी 16
शक्ति त्रिवेदी

एक गांव की कहानी 18
हरिकृष्ण लाल

किशोर भारती और उसके संचालक डा० अनिल सदगोपाल 21
अमिताभ शुक्ल

स्थायी स्तम्भ

केन्द्र के समाचार : कहानी : कविता : पहला सुख निरोगी काया : साहित्य समीक्षा आदि।

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण पुर्ननिर्माण मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

एक प्रति 1 रु० : वार्षिक चंदा 10 रु०

●

दूरभाष : 382406

सम्पादक : देवेन्द्र भारद्वाज

उपसम्पादक : कु० शशि चावला

आवरण पृष्ठ : परमार

पिछला वर्ष

निर्भीक निर्णयों का वर्ष

चालू वर्ष

नए निश्चयों का वर्ष

सन् 1980 का वर्ष निर्भीक निर्णयों का वर्ष था। इस वर्ष छह और वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 तक हो गई है और देश में समस्त बैंकिंग कार्यों का 90 प्रतिशत अब राष्ट्रीयकृत बैंकों के हाथ में है।

अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवन देने के लिए 1980-81 के बजट में बचतों को बढ़ावा देने हेतु कुछ नई नीतियां प्रतिपादित की गई और मुद्रास्फीति से त्रस्त मध्यम वर्ग और समाज के गरीब वर्गों को कुछ राहतें भी उपलब्ध कराई गई हैं। बजट की एक उल्लेखनीय सफलता थी एक ऐसी राजकोषीय नीति का प्रदर्शन, जिसमें अनेक प्रकार की राहतें दी गई थीं और साथ ही अत्यधिक कराधान न करके भी योजना परिव्यय में काफी वृद्धि करने की परिकल्पना की गई थी।

कोयला, बिजली और परिवहन की संकटग्रस्त अन्तःसंरचना को पुनः सक्रिय करने के उद्देश्य से उनके निष्पादन पर लगातार नजर रखने, समस्याओं का पता लगाने और उपयुक्त सुधारात्मक उपायों का समन्वय करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री-मंडलीय समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति द्वारा बार-बार समीक्षा करने के कारण ताप बिजलीघरों की कोयला पहुंचाने की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। फलतः बिजली उत्पादन में भारी वृद्धि हुई।

छठी पंचवर्षीय योजना, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में 90,000 करोड़ रु० के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, उसका मसौदा तैयार कराया गया और राष्ट्रीय विकास परिषद से स्वीकार कराया गया। जनसाधारण के जीवनस्तर में सुधार करने की दिशा में छठी योजना एक बड़ा कदम होगा।

मुद्रास्फीति के हमलों से भयभीत मध्यम वर्ग को 1980-81 के बजट में नई राहत मिली। आयकर के आकलन के लिए आय की छूट सीमा 10,000 रु० से बढ़ाकर 12,000 रु० कर दी गई। मानक कटौती की सुविधा अब पेंशन पाने वालों को भी दी जा रही है। आयकर पर अधिभार की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई।

स्थायी आधार पर कम से कम 8.33 प्रतिशत बोनस की घोषणा की गई। इसके बारे में अनिश्चितता की स्थिति समाप्त की जा चुकी है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कम दर वाली एक सामूहिक बीमा योजना प्रचलित की जाने वाली है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पहले से अधिक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

जन साधारण के विशेष उपयोग की अनेक वस्तुओं पर से उत्पाद शुल्क या तो हटा दिया गया या कम कर दिया गया जैसे जीवन रक्षक दवाइयां, सिलाई मशीनें, साइकिलें, सस्ती किस्म का नहाने का साबुन, टूथपेस्ट, बिजली के बल्ब, प्रेशर कुकर इत्यादि।

निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अनेक नए उपाय किए गए हैं जिनमें निर्यात के लिए ही पूरा माल बनाने वाले उद्योगों को नए प्रोत्साहन भी शामिल हैं।

देश में बचत एवं निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने हेतु अनेक उपायों की घोषणा की गई।

औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक ठोस उपाय किए गए। इनमें निवेश की सीमा बढ़ाना, औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, स्वतः संवृद्धि की सुविधा का विस्तार करना और सागर तट तथा सागर में तेल की खोज करने के लिए विदेशी कम्पनियों को बुलाना शामिल है, जिससे तेल की खोज के लिए देश के प्रयासों को तेज किया जा सके।

करों की चोरी और तस्करी को रोकने के उपाय तेज किए गए हैं। तलाशियों और माल की जब्तियों का कार्य बढ़ाया गया है। दुर्लभ जिन्सों के स्टाकिस्टों के संबंध में सरकार राष्ट्रव्यापी समन्वित सर्वेक्षण कराने जा रही है।

वर्ष 1981 देश में सभी के लिए अच्छे दिनों का संदेश लेकर आया है। इस बात के संकेत मौजूद हैं कि 1980 के दौरान जो कठोर परिश्रम किया गया है, उसके फल अब मिलने लगे हैं।☐

महिला मंडल और युवक मंडल एक मूल्यांकन

वी० विजयलक्ष्मी

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना आरम्भ की गई जिसका नाम था "सामुदायिक विकास में स्वयंसेवी कार्य की प्रगति और महिला मण्डल तथा युवक मण्डलों को प्रभावात्मक बनाना।"

इस योजना के लक्ष्य थे मण्डलों के संगठनात्मक ढांचे, प्रबन्ध और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना तथा विभिन्न कार्यक्रमों के निर्धारण और कार्यान्वियन में इन संगठनों से काम लेना और ग्राम स्तर पर लोगों की भागेदारी को प्रोत्साहन देना।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आवर्ती और अनावर्ती अनुदान, पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नवीनीकरण आदि विषयों पर भी योजना में पर्याप्त ध्यान दिया गया। इसके अलावा मण्डलों के पंजीकरण की जो वर्तमान विधि है उसको भी सरल बनाने के कदम उठाए गए।

1979-80 में ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ने इन मण्डलों की कार्य प्रणाली के मूल्यांकन का भार ग्रहण कर लिया। मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:—

- पर्याप्त मात्रा में अनुदान उपलब्ध हो रहे हैं या नहीं, उनको उपयोग में लाने की रीति तथा मण्डलों की गतिविधियों और संगठनात्मक व्यवस्था में ये अनुदान किस हद तक सहायक हो रहे हैं, इसका मूल्यांकन करना।
- प्रशिक्षण के नवीनीकरण के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करना तथा संगठनात्मक ढांचे व कार्य में सुधार लाने के लिए ऐसे प्रशिक्षण की उपयोगिता का निर्धारण करना।
- इन संगठनों को आगे बढ़ाने में पंजीकरण विधि के सरलीकरण ने कितनी सहायता की, उसका निर्धारण करना। ग्राम विकास की प्रगति में इन संगठनों की भूमिका का अध्ययन करना।
- भविष्य के कार्यक्रम के लिए सुझाव देना।

इस रिपोर्ट के आधारभूत आंकड़े जुलाई-दिसम्बर, 1979 में आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्य से संगृहीत किए गए। अध्ययन हेतु इन राज्यों से कुल 22 महिला मण्डलों और 28 युवक मण्डलों को लिया गया।

अनुदान के उपयोग की रीतियों, सदस्यता, बैठकों, विचार-विमर्श और विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित प्राथमिक आंकड़े मण्डलों के रिकार्डों से ही प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त मण्डलों के पदाधिकारियों और सदस्यों तथा उन ग्रामों के गैर-सदस्यों से भी प्रश्नावलियों के जरिये भेंट वार्ताएं की गईं। इनमें अनुदान, प्रशिक्षण, पंजीकरण प्रक्रिया आदि विषयों पर चर्चा की गई। इन मण्डलों के ग्राम विकास के साथ सम्बन्ध तथा प्रभाव पर भी प्रकाश डाला गया।

अनुदान

अनावर्ती अनुदानों के उपयोग की विधि को मदों के रूप में विभाजित किया गया, जो चालू कार्यक्रमों के लिए उपयोगी नहीं हैं। अधिकांश मण्डलों ने कार्यालय के लिए फर्नीचर आदि पर अपना अनुदान खर्च किया जबकि बहुत कम मण्डलों ने अपनी तात्कालिक कार्यों की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य उपकरणों को खरीदने पर अनुदान खर्च किया। इसके अतिरिक्त ज्यादातर इन वस्तुओं की आपूर्ति खण्ड कार्यालय द्वारा ही होती है। अत: मण्डलों को अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोचकर उसके अनुरूप खर्च करने की बहुत कम गुंजाइश होती है।

मण्डलों के सचिव के लिए मानदेय के रूप में दिया जाने वाला अनुदान संगठनात्मक मामलों में उसके अधिक ध्यान देने में प्रेरक सिद्ध हुआ। मानदेय को प्राप्त करने पर कुछ लोगों ने नियमित रूप से रिकार्ड रखना और विचार-विमर्श करना शुरू किया, लेकिन कर्मचारियों के बीच आपसी सम्बन्धों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मानदेय को प्राप्त करने के लिए कई मण्डलों के उत्साही कार्यकर्त्ता स्वयं सचिव बनना चाहते थे। फलस्वरूप वैमनस्य की भावना बढ़ी और संगठनों के कार्यक्रमों पर भी इसका बुरा असर रहा। मानदेय के रूप में निर्धारित राशि को कुछ मण्डलों ने दैनिक खर्चों के रूप में परिवर्तित किया, ताकि विवाद टल जाएं और निधियों के घाटे भी निपट जाएं।

अधिकांश मण्डलों ने आकस्मिक अनुदान का उपयोग लेखन सामग्री खरीदने और अपने दैनिक खर्चों पर किया। स्थापना सम्बन्धी खर्चों से निपटने और कार्य के ढंग को सुधारने में यह बहुत सहायक सिद्ध हुआ। प्रशासनिक दृष्टि से संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने में यह, अनुदान उपयोगी साबित हुआ।

योजना के अन्तर्गत यह सूचित किया गया कि मण्डल स्थानीय रूप से संसाधनों के अनुरूप अनुदानों को भी संगठित करने का प्रयास करें। आमतौर पर अधिकांश मण्डल इच्छित सीमा तक ऐसा करने में असफल रहे। अध्ययन के अन्तर्गत 50 मण्डलों में से केवल 20 मण्डल 50 प्रतिशत और उससे अधिक स्थानीय संसाधनों को एकत्रित कर सके और 13 मण्डलों ने 20 प्रतिशत और उससे भी कम संसाधनों को संगठित किया। रकम के अनुसार देखा जाए तो मात्र 16 मण्डल 1000 और उससे अधिक रुपये स्थानीय रूप से जमा कर सके जबकि आठ मण्डल ऐसे भी थे जिन्होंने कुल मिलाकर 100 रुपये से भी कम जमा किए। कुछेक मण्डल ऐसे भी थे, जिन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया। जिन स्रोतों से संसाधन इकट्ठे किए गए उनमें सदस्यता शुल्क और चन्दे मुख्य थे। केवल कुछ लोगों ने ही पारिश्रमिक कार्य कलापों को अपना कर स्थानीय संसाधनों को एकत्रित किया। आम प्रवृत्ति यह थी कि किसी विशेष कार्यक्रम के लिए जनता और सदस्यों से तदर्थ चन्दे इकट्ठे किए जाते थे। इस प्रकार उपलब्ध अनुदान के बराबर स्थानीय संसाधनों को संगठित करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका।

समग्र रूप से देखा जाए तो, मण्डलों द्वारा आकस्मिक अनुदान के रूप में प्राप्त वित्तीय सहायता उनकी दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने में सहायक रही। अन्य अनावर्ती अनुदान सचिव को दिया जाने वाले मानदेय आदि सीमित रूप में ही लाभदायक रहे। विकास कार्यक्रमों को आरम्भ करने या स्थानीय रूप से लोगों को प्रेरित करने में इन अनुदानों का योगदान नगण्य ही था। यही कारण था कि अधिकांश पदाधिकारियों ने विकास कार्यक्रमों के लिए निश्चित अनुदानों की मांग की।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए आजकल ग्राम सेवक/सेविका प्रशिक्षण केन्द्र, गृह विज्ञान तथा कृषक प्रशिक्षण केन्द्र आदि जो प्रशिक्षण एजेंसियां हैं उनका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। मण्डलों से अपने घनिष्ठ सम्बन्ध के कारण खण्ड-मुख्यालयों पर ही प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से आयोजित किया गया। 26 मण्डलों के पदाधिकारियों ने खण्ड कार्यालय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया जबकि केवल 8 ने प्रशिक्षण केन्द्रों पर। ऐसे महिला मण्डलों में जहां बीच में स्थित मुख्य ग्राम प्रशिक्षण स्थलों के रूप में चुने गए अधिक लोग हाजिर होते थे।

कई मण्डलों में प्रशिक्षण के लिए साधारण सदस्यों को भी प्रतिनियुक्त किया गया क्योंकि पदाधिकारी घरेलू या व्यावसायिक जिम्मेदारियों के कारण व्यस्त थे। कुछ स्थितियों में प्रशिक्षण बेकार भी गया क्योंकि या तो पदाधिकारियों का तबादला हो गया था या महिला पदाधिकारी शादी होने के बाद किसी दूसरी जगह चली गई। किसी को नौकरी मिली तो चले गए या चुनाव के बाद नए नेता आ गए और प्रशिक्षित पुराने अधिकारियों को हटना पड़ा। योजना के अन्तर्गत सिर्फ पहले वर्ष में ही प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, अतः नए पदाधिकारियों के लिए इस प्रकार के किसी प्रशिक्षण में भाग लेकर अपनी निपुणताओं को बढ़ाने का कोई अवसर नहीं था।

महिला मण्डलों के प्रतिनिधियों को पोषाहार, स्वास्थ्य और सफाई, कृषि, पशु संवर्धन और परिवार नियोजन आदि कार्यक्रम अच्छे लगे, तो युवक मण्डलों के प्रतिनिधियों को कृषि, स्वास्थ्य और सफाई, पशुपालन कार्यक्रम मन भाए। भाषण की अपेक्षा सामूहिक रूप से चर्चा करना तथा प्रदर्शन कार्यक्रम ही रुचिकर साबित हुए, यद्यपि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाषण ही अधिक प्रचलित थे। प्रतिवादियों द्वारा दृश्य-श्रव्य साधन तथा प्रदर्शन पद्धतियों पर अधिक जोर दिया गया।

संगठनात्मक विषयों में अपनी निपुणता को बढ़ाने, ग्राम विकास के नए कार्यक्रमों को जानने तथा ग्राम स्तर पर उनका कार्यान्वियन करने में भाग लेने वालों के लिए प्रशिक्षण उपयोगी साबित हुआ। इन कार्यक्रमों की जानकारी ने उन्हें इनके कार्यान्वियन में अपनी भूमिका को जानने का अवसर प्रदान किया।

मंडलों का पंजीयन

कुछ राज्यों में पंजीयन प्रक्रिया के सरलीकरण का प्रभाव प्रभाव सीमित रहा, क्योंकि पंजीयन के लाभों के सम्बन्ध में उचित मार्गदर्शन मण्डलों को नहीं दिया गया। दूसरे योजना के अन्तर्गत मण्डलों को शामिल करने के समय ही पंजीयन के लिए अधिकारियों ने जोर दिया।

फलस्वरूप योजना के अन्तर्गत जो मण्डल आ पाए उनका ही पंजीयन हो सका जबकि शेष इससे वंचित रहे। अनेक मण्डल इस बात के प्रमाण हैं कि वे योजना में शामिल होने के बाद ही पंजीकृत हुए, जबकि बगैर पंजीयन के ही वर्षों से वे अपना कार्य कर रहे थे।

स्वयंसेवी कार्यों को प्रोत्साहन

संसाधनों को संगठित करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया और कार्यक्रमों में भाग लेने और अन्य स्थानीय संगठनों के साथ कार्यकारी सम्बन्धों की दृष्टि से स्वयंसेवी कार्य को बढ़ावा देने में भी मण्डलों के योगदान पर विचार किया गया। पांच महिला मण्डलों को छोड़कर बाकी सब स्थानीय रूप से संसाधनों को जमा कर सके। इस प्रकार जमा की गई राशि बहुत कम थी। निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने को सदस्यों को प्रेरित करने में भी मण्डल सफल हुए। आमतौर पर भाग लेने वालों की दर ऊंची रही और 80 प्रतिशत सदस्य विचार विमर्श में नियमित रूप से भाग लेने वाले पाए गए। ग्राम पंचायत तथा सहकारी संस्थाओं जैसे संगठनों के साथ कार्यकारी सम्बन्धों को बढ़ाने में मण्डलों को सीमित सफलता ही मिली। स्थानीय विकास से संबंधित विषयों की अपेक्षा नेताओं के बीच आपसी सम्बन्धों पर ये सम्बन्ध अधिक आधारित थे। एक

ही प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करने या उनके कार्यान्वयन में कार्यकारी समन्वय के लिए आपसी परामर्श नहीं किया जाता था।

ग्राम विकास में योगदान

इस योजना का मुख्य लक्ष्य महिला और युवक मण्डलों को सक्रिय बनाना है ताकि ग्राम विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी क्षमता का सदुपयोग हो सके। इस दिशा में अभी तक कोई ठोस उपलब्धि नहीं हुई। अधिकांश महिला मण्डल महिला और शिशु कल्याण कार्यक्रमों जैसे व्यावहारिक पोषाहार, महिला और शिशु के लिए संयुक्त कार्यक्रम और एकीकृत शिशु विकास सेवा योजना से सम्बद्ध रहे, जबकि दूसरी ओर युवक मण्डलों ने सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई और संचार कार्यक्रमों का बीड़ा उठाया। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ और कार्य भी किए जो बागवानी और प्राकृतिक खाद की तैयारी से संबंधित थे। साधारणतः ये किसी भी चालू सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध नहीं थे। कुछ महिला मण्डलों ने गृह कला तथा वैयक्तिक आर्थिक प्रायोजनाओं जैसे जूट-बस्ते, चटाई बुनना और बेकरी की शुरुआत की फिर भी उनका प्रभाव सीमित ही रहा। कुछ मण्डल अपने ग्रामों की आवश्यकताओं के बारे में अधिकारियों से बातकर उनकी आपूर्ति में भी सहायक रहे।

योजना का प्रभाव

अनुदान मण्डलों की कार्यविधि पर नवीन प्रशिक्षण जैसे योजना के परिणामों के प्रभाव का मूल्यांकन, निपुणताओं को बढ़ाने और जन सहयोग को प्राप्त करने में स्थानीय संगठनों की भूमिका आदि के आधार पर किया गया। निपुणताओं को बढ़ाने का उद्देश्य अपने आपको संगठित करने, पदाधिकारियों को चुनने, चर्चाओं को आयोजित करने, प्रस्तावों का अनुमोदन तथा रिकार्ड रखने से है। मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि ये स्वयं अपनी समस्याओं के बारे में सोच सकें, निर्णय ले सकें, लोकतांत्रिक ढांचे के आयोजन तथा विकास के लिए आवश्यक सभी प्रायोजनाओं को पूरा कर सकें। संगठनात्मक प्रबन्ध पर प्रभाव की जांच के लिए चुने गए तत्व हैं—सदस्यता में वृद्धि, कार्यकारी समितियों का गठन, बैठकों का नियमित आयोजन और रिकार्डों की व्यवस्था। मण्डलों द्वारा अपनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के लिए जनता का सहयोग भी अपेक्षित है।

आंकड़ों से यह ज्ञात हुआ कि योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने के बाद से 50 में से 37 मण्डलों ने अपने सदस्यों की संख्या में वृद्धि का दावा किया। यह सब पदाधिकारियों के उत्साह और प्रयत्नों से ही संभव हुआ। कार्यकारिणी की गठन के सम्बन्ध में यह ज्ञात हुआ कि जो 13 मण्डल पहले बगैर समिति के कार्य कर रहे थे, योजना में शामिल किए जाने के बाद उन्होंने समितियों का गठन किया। इसके अतिरिक्त समिति के चुनाव भी नियमित रूप से निश्चित अवधि में संपन्न होने लगे। योजना के परिणामस्वरूप कई मण्डल सदस्यता, बैठकों और आय-व्यय से संबंधित रिकार्ड रखने लगे। जो मण्डल पहले से ही रिकार्ड रखते थे उन्होंने अपने लिपिकीय कार्य को सुधारने का कार्य किया। जो मण्डल पहले या तो बैठकें आयोजित ही नहीं करते थे या अनियमित रूप से आयोजित करते थे, वे योजना में शामिल किए जाने के बाद नियमित रूप से बैठकें आयोजित करने लगे। इस प्रकार योजना में शामिल किए जाने के बाद से मण्डलों की संगठनात्मक क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

विभिन्न कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन से मण्डलों के सीमित सम्बन्ध थे, अतः लोगों की भागेदारी को अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल पाया। साधारणतः योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने के बाद मण्डलों की गतिविधियों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। जहां तक कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन का सम्बन्ध है, प्रशिक्षण और पदाधिकारियों का लगभग उपयोग ही नहीं किया गया। केवल कुछ मामलों में बागवानी, स्वास्थ्य और सफाई, सामाजिक शिक्षा जैसे विकासात्मक कार्यों को अपनाने का प्रयत्न किया गया है।

इस योजना के अधिक प्रभावी न होने का मुख्य कारण निर्दिष्ट कार्यक्रमों का अभाव है, जो समग्र वितरण व्यवस्था के भाग के रूप में इन संगठनों को सौंपे जा सकते थे। फलतः अपने लक्ष्यों के साथ यह योजना पृथक रह गई। यदि महिलाओं और युवकों के अन्य कार्यक्रमों के अनुरूप इसे बनाया गया होता तो इस योजना के और भी अच्छे परिणाम निकल सकते थे।

यद्यपि यह योजना मण्डलों की संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने में उपयोगी साबित हुई तथापि विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आवश्यक साधनों और सहायता को संगठित करने पर इसका कम प्रभाव पड़ा है। □

तेल की हर बूंद कीमती है इसे बचाइए!

बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास योजनाओं का मूल्यांकन

श्रीराम मिश्र

हाल ही में योजना आयोग के संयुक्त सचिव और बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास योजनाओं के मूल्यांकन के लिए गठित तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष डा० एस० एम० शाह के नेतृत्व में तीन सदस्यों के एक अध्ययन दल ने कोटा जिले के शाहाबाद - किशनगंज इलाकों का दौरा किया और बंधुआ जीवन से मुक्त सहरिया आदिवासी मजदूरों के पुनर्वास की स्थिति की जानकारी हासिल की। वस्तुतः इस अध्ययन दल ने अपने देशव्यापी मूल्यांकन अध्ययन की शुरुआत कोटा से की। योजना आयोग बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास योजना के मूल्यांकन का कार्य कर रहा है, ताकि इस संबंध में वस्तु-स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सके और केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पुनर्वास योजनाओं में अपेक्षित सुधार लाया जा सके। समिति में डा० शाह के अलावा दो अन्य सदस्य थे—डा० राम पांडे, परियोजना निदेशक (बंधुआ मजदूर), राजस्थान सरकार और श्री पी० एल० अवारे, उपसलाहकार, योजना आयोग। यह अध्ययन दल बंधुआ मजदूरों की पुनर्वास योजनाओं से लाभ पाने वालों के विवरण एकत्र करेगा, जिसमें पुनर्वास से पहले और बाद की उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति, पुनर्वास के अन्तर्गत प्राप्त लाभ और सुविधाओं का आकलन होगा। इसके अलावा अध्ययन दल ने मुक्त बंधुआ मजदूरों से पुनर्वास योजनाओं के बारे में उनकी निजी प्रतिक्रियाएं जानने का भी प्रयास किया। डा० शाह ने बताया कि मूल्यांकन समिति देश के प्रमुख प्रभावी क्षेत्रों का दौरा करेगी और दो महीने के भीतर योजना आयोग को अपनी रिपोर्ट दे देगी। भारत सरकार को 6 महीने के भीतर इस अध्ययन दल की रिपोर्ट प्रस्तुत होगी।

मूल्यांकन समिति ने कोटा जिले से ही अपने कार्य की शुरुआत करने का जो निर्णय लिया, उसका कारण था राजस्थान में बंधुआ मजदूरों की सबसे बड़ी संख्या इसी जिले में है। अध्ययन दल के सदस्य डा० राम पांडे के अनुसार पूरे राजस्थान में 7 हजार बंधुआ मजदूरों की जानकारी राज्य सरकार को मिली थी, जिसमें 3,879 अकेले कोटा जिले में थे। वैसे बंधुआ मजदूरों की संख्या के बारे में राज्य सरकार के आंकड़ों को दूसरे लोगों ने चुनौती दी है। गांधी शान्ति प्रतिष्ठान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राजस्थान में बंधुआ मजदूरों की संख्या 67 हजार है। डा० शाह और अन्य लोगों की भी यह मान्यता है कि बंधुआ मजदूरों की संख्या निश्चय ही अधिक होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के पास सभी सूचनाएं पहुंचना मुश्किल होता है। डा० राम पांडे ने दावा किया कि राजस्थान में छह हजार बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाया जा चुका है और उनमें से 5,656 लोगों के लिए पुनर्वास की भी व्यवस्था की जा चुकी है। कोटा जिले के बारे में उनका दावा था कि सभी मजदूर बंधक जीवन से मुक्त करा दिए गए हैं और 344 को छोड़कर शेष सभी के पुनर्वास के लिए भी समुचित व्यवस्था की जा चुकी है। डा० राम पांडे के अनुसार राजस्थान में कोटा के अलावा झालावाड़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर और बाड़मेर में बंधुआ मजदूरों की जानकारी थी। 1978-79 में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए लागू की गई केन्द्रीय पुनर्वास योजना इस प्रदेश के कोटा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बाड़मेर और डूंगरपुर जिलों में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत मजदूरों के पुनर्वास के लिए लघु कृषक विकास अभिकरण, अन्त्योदय, एकीकृत ग्राम विकास योजनाओं के अलावा अब कुछ स्थानीय कच्चे माल पर आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर भी विचार चल रहा है। कोटा जिले में बंधुआ मजदूर बहुल क्षेत्र शाहाबाद में पत्थर तोड़ने का कारखाना, किशनगढ़ में चूना कारखाना, भंवरगढ़ में हड्डी पीसने का कारखाना और सीताबाड़ी में गत्ता कारखाना प्रस्तावित हैं। इन कारखानों में मुक्त बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाएगा।

मूल्यांकन समिति के इस दौरे के सिलसिले में ही कोटा में बंधुआ मजदूरों के बारे में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के अध्यक्ष डा०

शाह मुख्य अतिथि थे । डा० शाह ने इस संगोष्ठी में कहा कि बंधुआ मजदूरों की समस्याओं के दो स्वरूप हैं एक सामाजिक और दूसरा आर्थिक । सामाजिक चेतना के अभाव में उनका पुनर्वास और विकास प्रभावित है और उनके आर्थिक सबलीकरण की भी बड़ी समस्या है । इस लिए उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा उनके लिए निश्चित आय वाले रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए और कृषि पर उनकी निर्भरता कम की जानी चाहिए । यह भी जरूरी है कि आदिवासी इलाके में जहां सबसे अधिक बंधुआ मजदूर हैं, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप कम हो । यदि मुक्त मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था हो और उन्हें वैकल्पिक रोजगार सुलभ हों तो उनके दुबारा बंधुआ होने की संभावनाएं नहीं रह जाएंगी ।

संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कोटा के जिलाधीश ने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए वर्तमान दृष्टिकोण और तौर-तरीकों में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है । उनका मत था कि बंधुआ मजदूरों के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उससे उनकी संख्या निश्चित ही बहुत ज्यादा है । बंधुआ मजदूरों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए कोई समयबद्ध और सामान्यीकृत कार्यक्रम नहीं निर्धारित हो सकता है, क्योंकि अलग-अलग स्थानों और राज्यों में यह समस्या अलग-अलग रूपों में है । अतएव इसके लिए विशेष स्थानीय योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

उनका स्पष्ट मत था कि बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए गारंटीशुदा रोजगार योजनाएं क्रियान्वित होनी चाहिए। सहरिया जैसे आदिवासी इलाकों में कर्ज और सहायता की व्यवस्था से तथा गाय, बकरियां आदि देकर उनकी समस्याएं हल नहीं की जा सकती । इसके लिए उत्पादक सम्पदा का निर्माण करना होगा । सहरिया आदिवासी मजदूरों को निश्चित मजदूरी का रोजगार देकर और उससे बचत करके तथा साथ ही

(शेष पृष्ठ 25 पर)

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए

नई ऊर्जा प्रौद्योगिकी आवश्यक

राव वीरेन्द्र सिंह

केन्द्रीय कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह ने गांवों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सौर ऊर्जा, पवन शक्ति तथा बायो-गैस को इस्तेमाल करने के लिए अधिक प्रभावी प्रयास करने का आह्वान किया है । उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे पास प्रचुर मात्रा में सौर विकिरण तथा लम्बा समुद्री तट है । हमारे पास आवश्यक प्रौद्योगिकी तो उपलब्ध है परन्तु इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है । पेट्रोलियम उत्पादों की लगातार बढ़ रही कीमतों तथा इनकी उपलब्धि की अनिश्चित व्यवस्था के कारण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में गम्भीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है । अगर हमें शेष बचे वनों को नष्ट किए बिना तथा प्राकृतिक पर्यावरण को और दूषित किए बिना लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना है तो आगामी दो दशकों में बायो-गैस, सौर ऊर्जा तथा पवन शक्ति को काम में लाने के लिए इन क्षेत्रों में आगे कदम बढ़ाने होंगे ।

राव वीरेन्द्र सिंह नई दिल्ली में ग्रामीण विकास संबंधी एक कार्यशाला में अपने विचार प्रकट कर रहे थे । इस कार्यशाला का आयोजन अखिल भारतीय प्रबन्धक संस्था द्वारा किया गया था ।

मंत्री महोदय ने कहा कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी को हटाना है । उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास की मुख्य बात यह है कि ग्रामीण समुदाय की विभिन्न आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं । अगर देश को गांवों की गरीबी पर काबू पाना है तो हमें इसके सभी पहलुओं पर विचार करके एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ग्रामीण विकास हेतु ठोस और समन्वित कार्यप्रणाली अपनाने की आवश्यकता है । उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कार्य कर रही सभी सरकारी तथा स्वयंसेवी एजेंसियों के कार्यकलापों में पूरा तालमेल होना चाहिए ।

राव वीरेन्द्र सिंह ने गरीबी को तेजी से दूर करने के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक समुदाय के सक्रिय योगदान पर बल दिया । उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । इसके लिए हमारी ग्रामीण परिस्थितियों के अनुकूल उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास आवश्यक है ।

मंत्री महोदय ने आपरेशन फ्लड-2 के अंतर्गत बड़े पैमाने पर दूध के उत्पादन के आयोजन तथा प्रोसेसिंग व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कार्य की सराहना की । उन्होंने सुझाव दिया कि तिलहनों तथा अनेक अन्य फसलों एवं घरेलू और ग्रामीण उद्योगों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए । □

मध्य प्रदेश का कृषि विकास और कृषि पुनर्वित्त निगम

प्रो० सरदार सिंह पंवार

मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था की विचारधारा का ऐतिहासिक अवलोकन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि समय और वातावरण ने इसे बहुत प्रभावित किया तथा समय की गति के साथ-साथ इसमें परिवर्तन और संशोधन होते रहे हैं। इन परिवर्तनों ने ही कृषि व्यवस्था से सम्बन्धित आधारभूत तथा सारभूत तथ्यों को स्पष्ट करते हुए उनके निदान की आवश्यकताओं को महसूस कराया है। ऐसे निदानात्मक प्रयासों की एक कड़ी है कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम जिसके माध्यम से राज्य की कृषि का निस्संदेह विकास हुआ है। निगम का मूल उद्देश्य कृषि विकास तथा कृषि विकास से संबंधित सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की वांछित मात्रा में व्यवस्था करना है। निगम द्वारा विगत वर्षों में मध्य प्रदेश में न केवल दीर्घकालीन सहकारी साख व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए गए हैं, साथ ही साख प्रयासों के विभिन्न अंगों के सुनियोजित विकास हेतु भी प्रयास किए गए हैं।

स्वीकृत योजनाएं

राज्य में कृषि विकास के विकास की विशेष योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप वित्तीय सहायता निगम द्वारा 1968-69 से प्रारम्भ की गई। इस प्रारम्भिक वर्ष में राज्य को निगम द्वारा राष्ट्र में प्रदत्त कुल ऋण राशि का केवल 1 प्रतिशत ही हिस्से में आया था। किन्तु कृषि विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण वर्ष 1977-78 में यह प्रतिशत बढ़कर 8.4 प्रतिशत हो गया अर्थात् कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के कृषि विकास हेतु सहायता प्राप्त करने वाला देश में चौथा स्थान मध्य प्रदेश का था।

निगम द्वारा 1979 तक कुल 996 योजनाएं स्वीकृत की गई और लगभग 10441 लाख रु० की राशि वितरित की गई। विशेष बात यह है कि लघु सिंचाई की 612 योजनाओं को राज्य के कृषि विकास हेतु स्वीकार किया गया और इसके लिए लगभग 9262 लाख रु० का वितरण कृषक समुदाय को किया गया। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि निगम का मूल उद्देश्य कृषक समुदाय का सर्वांगीण विकास करना है। अपने इस उद्देश्य में निगम निश्चय ही सफल भी हुआ है।

एक और रियायत

मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश होने के साथ ही साथ पिछड़ा राज्य भी है। इस सन्दर्भ में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा विशेष योजनाएं अनुमोदित कर उनका वित्त पोषण और क्रियान्वयन किया गया है। निगम द्वारा वर्ष 1963 से 1979 तक सामान्य ऋण योजनाओं के अतिरिक्त कुल 1022 योजनाएं और स्वीकृत की गई तथा 10534 लाख रु० की ऋण राशि की सहायता दी गई है। साथ ही यदि हम इन आंकड़ों के आधार पर निगम द्वारा वितरित कुल वित्त राशि का पिछड़े राज्य के सन्दर्भ में विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति राशि से प्रतिशत निकालें तो यह 54.8 प्रतिशत आता है जो राज्य की कृषि अर्थ व्यवस्था के विकास में निगम के योगदान का परिचायक है।

विशेष परियोजनाएं

कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा सर्वप्रथम 1968-69 में सागर सब्जी योजना स्वीकृत की गई थी। इस योजना को मिलाकर 30 जून, 1979 तक निगम द्वारा 758 योजनाएं कूपनिर्माण, पम्पसेट, भूमि संरक्षण, ट्रैक्टर और लघु सिंचाई आदि उद्देश्यों के साथ स्वीकृत हुईं।

कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को तब ही पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाता है जब प्राथमिक सहकारी भूमि विकास अधिकोषों द्वारा वितरित ऋण तथा उसके प्रति शीर्षस्थ बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता के आधार पर विशेष ऋणपत्र निर्गमित किए जाते हैं। ऋणपत्रों के निर्गमन में कृषि एवं विकास निगम और मध्य प्रदेश का योगदान निर्धारित अनुपात में रहता है। यह अनुपात लघु सिंचाई योजनाओं की स्थिति में 9:1 तथा अन्य उद्देश्यों हेतु 3:1 है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कृषि विकास कार्य हेतु निगम ने वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर तथा राज्य में उपलब्ध वित्तीय साधनों के संरक्षण की पहलकर राज्य के कृषि विकास में अपना प्रचुर सहयोग प्रदान किया है।

साख परियोजनाएं

कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम अपने विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों के जरिये राज्य के कृषक समुदाय को अधिक संख्या में समाविष्ट करने के कार्य में निरन्तर प्रयत्नशील है। निगम अपनी प्रथम और द्वितीय कृषि पुनर्वित्त साख परियोजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को किए गए वायदों को पूरा करने में सफल रहा है। कृषि पुनर्वित्त साख परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य हेतु समावेशित योजनाओं में मुख्य रूप से लघु सिंचाई परियोजनाएं एवं भू विकास सम्बन्धी योजनाएं प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त निगम के राज्य में अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के माध्यम से भी कृषि पुनर्वित्त साख परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। व्यापारिक बैंकों के द्वारा लघु सिंचाई के साथ ही कृषि उपकरण, मुर्गी

तथा भेड़ पालन, डेयरी विकास, भण्डारण तथा बाजार केन्द्र एवं गोबर गैस संयंत्रों के लिए भी पुनर्वित्त साख की व्यवस्था की गई है। व्यापारिक बैंकों द्वारा इन विभिन्न योजनाओं पर 57 लाख रु० की वित्तीय सहायता 1979-80 तक प्रदान की गई है।

वैसे तो उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम ने राज्य की कृषि साख व्यवस्था को ठोस आधार प्रदान करने हेतु हर संभव प्रयास किए हैं। फिर भी इस दिशा में निम्न प्रयास और भी अधिक फलदायी हो सकते हैं।

कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का क्रियान्वयन अधिकांशतः सहकारी भूमि विकास अधिकोषों के माध्यम से ही किया जाता है। किन्तु निगम की योजनाओं के प्रारूप निर्माण में इन अधिकोषों का सहयोग नहीं लिया जाता है, जो कि आवश्यक है। राज्य की अर्थ-विकसित अर्थव्यवस्था की विशिष्ट आर्थिक परिस्थितियों के सन्दर्भ में यदि इस पर विचार किया जाए तो निस्संदेह यह पहल उपयोगी होगी।

पुनर्वित्त वितरण हेतु कालातीत ऋण की सीमाओं का प्रतिबन्ध रिजर्व बैंक द्वारा तथा निगम द्वारा आवश्यक रूप से पालन कराया जाता है। राज्य के सहकारी भूमि विकास अधिकोषों की ऋण प्रदाय योजनाओं के फलदायी क्रियान्वयन की सबसे बड़ी बाधा यह कालातीत ऋण ही है। पिछड़ा राज्य होने के नाते कृषक समय पर ऋण अदायगी नहीं कर पाता। फलतः उसे कालातीत ऋण के कारण साख की सुविधा आवश्यक होने पर भी नहीं मिल पाती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि पुनर्वित्त वितरण सम्बन्धी नियमों में थोड़ी रियायत और लचीलापन लाकर उसे कालातीत ऋण के बन्धन से मुक्त किया जाए। निगम द्वारा इस प्रकार की सुविधा व्यापारिक बैंकों को दी जा रही है। अतः उसी आधार पर यह सुविधा सहकारी भूमि विकास अधिकोषों को भी देना उपयुक्त होगा।

राज्य में कार्यरत प्राथमिक सहकारी भूमि विकास अधिकोषों को पुनर्वित्त वितरण पर मात्र 3 प्रतिशत ही ब्याज प्राप्त होता है। इस प्राप्त ब्याज का लेखा-जोखा वर्ष के अन्त में किया जाता है, जबकि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास अधिकोषों को कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम को अर्द्ध-वार्षिक ब्याज चुकाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ऋणग्राही कृषक से वार्षिक दर पर ब्याज वसूल कर छमाही दर पर निगम को भुगतान करना औचित्य-पूर्ण नहीं है।

अतः निगम को अपनी नीतियों में परिवर्तन कर वर्ष में केवल एक ही बार सहकारी भूमि विकास अधिकोषों से ब्याज वसूल करना चाहिए। यदि सहकारी भूमि अधिकोषों को प्राप्त होने वाले पुनर्वित्त वितरण पर ब्याज की दर में सामयिक और वांछित वृद्धि की गई तो इससे अधिकोषों की वित्तीय आत्मनिर्भरता का आधार भी सुदृढ़ होगा।

संक्षेप में राज्य में कृषि उन्नति तथा त्वरित विकास में दीर्घकालीन सहकारी साख की व्यवस्था कर कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम ने कृषक समुदाय के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। □

आलू की पैदावार बढ़ी

आज देश में 7 लाख 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 1 करोड़ टन से अधिक आलू का उत्पादन किया जा रहा है जिसकी औसत उपज लगभग 128.9 क्विंटल आंकी गई है। आलू पर व्यवस्थित अनुसंधान द्वारा विकास के आधार पर पिछले 3 दशक में आलू का क्षेत्र तीन गुना बढ़ा है, जबकि उत्पादन में 7 गुना वृद्धि हुई है। उत्पादन की यह बढ़ोतरी केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए बहुमूल्य अनुसंधान और विकास कार्य के फलस्वरूप हुई नई किस्मों आदि के कारण सम्भव हो सकी है। हाल ही में संस्थान द्वारा कुफरी बादशाह और कुफरी बहार नामक दो किस्में जारी की गई हैं। कुफरी बादशाह किस्म देश के उत्तरी-पश्चिमी मैदानों में उगाने के लिए परीक्षण के तौर पर श्रेष्ठ पाई गई है। यह किस्म एक तो अगेता और पिछेता झुलसा रोधी है और दूसरे यह बहुत से विषाणुओं को भी प्रभावित नहीं करने देती। इस किस्म में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूर्व जारी की गई किस्म कुफरी चन्द्रमुखी से कहीं अधिक है। ठीक इसी प्रकार कुफरी बहार किस्म अधिक उपज देने वाली किस्म है जिसे देश के उन्नत कृषि क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया है।

पिछले वर्ष हुए आलू के अत्यधिक उत्पादन को देखते हुए केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान द्वारा कम लागत वाले देसी शीतगृह बनाने की योजना तैयार की गई है जिनमें एक विशिष्ट रचना के आधार पर केवल बुरादा आदि भरकर ही भंडारण किया जा सकेगा। इसके अलावा संस्थान ने रसायनों का छिड़काव करके आलू का भंडारण करने का अच्छा तरीका निकाला है। हिमाचल प्रदेश या अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के किसान भाइयों के लिए संस्थान द्वारा अत्यन्त सस्ती लकड़ी की चौकोर ट्रे तैयार की गई है जिसमें आसानी से भंडारण किया जा सकता है। यही नहीं संस्थान में आलू के अन्य उत्पाद भी तैयार किए गए हैं। संस्थान द्वारा आलू उत्पाद सुखाने के लिए भी सौर ऊर्जा द्वारा चलने वाले यन्त्र "सौर सुखावक" का निर्माण किया गया है।

अनुसंधान को अत्याधुनिक रूप देने के लिए केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में 10 लाख रु० की लागत का एक विद्युत सूक्ष्मदर्शी यंत्र जापान से मंगाया है। यह उपकरण छोटे से छोटे जीव, विषाणु आदि को देखने में सक्षम है। देश में इस प्रकार के बहुत कम उपकरण हैं। संस्थान में लगाया गया यह उपकरण देश के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र में अकेला है। इस उपकरण के प्रयोग से आशा की जाती है कि आलू की बहुत सी बीमारियों और विषाणुओं को पहचान कर उनसे निपटने के लिए उपाय खोजे जा सकेंगे। □

भूमि उपयोग में सही दिशा की तलाश

राधामोहन श्रीवास्तव

भारत सरीखे कृषि प्रधान देश में भूमि उपयोग और फसल प्रतिरूप के सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श तथा जानकारी प्राप्त करना विशेष महत्व रखता है। चूंकि प्रकृति की देन भूमि की मात्रा स्थिर है और भूमि कृषि के लिए एक आधारमूलक उत्पादन तत्व है, इसलिए भूमि का भरपूर उपयोग किया जाना आवश्यक है। देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की दृष्टि से भूमि के अधिकाधिक तथा आधुनिकतम उपयोग की उतनी ही महत्ता है जितनी कि सिंचाई संसाधन, उर्वरक व उन्नत बीज आदि के प्रयोग से खेती को सघन बनाने की प्रक्रिया की।

परिवर्तनशील दृष्टि

भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.88 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 93 प्रतिशत क्षेत्र यानी 30.42 करोड़ हेक्टेयर भूमि के उपयोग सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध हैं। इसमें कृषि भूमि 16.31 करोड़ हेक्टेयर है, जो कुल क्षेत्र का लगभग 50 प्रतिशत है। अनेक देशों की तुलना में भारत की स्थिति इस दृष्टि से बेहतर है। मसलन, कृषि क्षेत्र का अनुपात कनाडा में 64, अमेरिका में 43, सोवियत संघ में 27 और ब्राजील में 16 प्रतिशत के लगभग है। यदि सारे संसार के लिए जांचा जाए तो इस कोटि में आने वाली भूमि का औसत 32 प्रतिशत के लगभग है। देश में आयतन भूमि में वृद्धि लाने की संभावना बहुत कम है। भारत जैसे देश में तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि उपयोग के मौजूदा ढांचे के अन्दर ही भूमि का गहन उपयोग आवश्यक प्रतीत होता है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में खाद, बीज, सिंचाई, उपकरण आदि कृषिगत संसाधनों की उपलब्धि के लिए ठीक-ठीक व्यवस्था की जानी चाहिए। कृषक परिवर्तनशील अवस्थाओं के साथ-साथ सदैव तदनुकूल परिवर्तन करते रहें। इस दृष्टि से भूमि उपयोग की सही दिशा की तलाश कम महत्व की बात नहीं।

सक्रिय सहयोग

वास्तव में भूमि का समुचित उपयोग न करने और उसके प्रयोग के प्रति सतत जागरूक और चैतन्य न रहने की दशा में भूमि की उत्पादन शक्ति में गिरावट का आना अवश्यंभावी है, जिसे पूरा करना प्राय: असंभव बन जाता है। कभी-कभी तो भूमि की उर्वरता ही एकदम चुक जाती है। बेशक, मनुष्य ने भूमि का बड़ा दुरुपयोग किया है। वृक्षों-वनस्पतियों की अत्यधिक कटाई और अत्यधिक चराई के कारण तीव्र गति से मृदा क्षरण होता है। ऊष्ण जलवायु की वजह से भारत में इस तरह की क्षति अधिक होती है। पानी के बहाव तथा हवा के प्रचण्ड झोंकों से नंगी मिट्टी कटकर या उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। अनुमान है कि भारत में लगभग 8 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो देश की भूमि सतह का चौथाई भाग है भूमि कटाव की समस्या से ग्रस्त है। भूमि संरक्षण के लिए सर्वप्रथम तो ऐसी विस्तृत जांच की आवश्यकता है, जिसके जरिये विभिन्न क्षेत्रों की समस्या का सही रूप ज्ञात हो सकेगा। फिर वृक्षारोपण तथा नियंत्रित चराई अभियान चलाए जाएं। समोच्च रेखा के अनुसार बंध लगाने व पट्टीदार खेती करने, वन लगाने, चरागाह विकास करने तथा जल्दी पकने वाली दालें-मूंग, लोबिया उगाने के कार्य में प्रचार-प्रदर्शन द्वारा किसानों की रुचि जगाकर उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

संरक्षण कार्य

एक सरकारी अनुमान के अनुसार देश में कुल कृषि क्षेत्र के 60 प्रतिशत भाग में भूमि संरक्षण के उपायों की आवश्यकता है। पहली पंचवर्षीय योजना में भू-संरक्षण के कार्यक्रमों पर लगभग 1.6 करोड़ रु० तथा द्वितीय योजना में 18 करोड़ रु० व्यय किए गए। तृतीय योजना में भूमि संरक्षण पर 77 करोड़ रु० व्यय हुए और तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान 88 करोड़ रु० व्यय किए गए। चौथी योजना में भूमि संरक्षण कार्यक्रमों पर कुल मिलाकर 132.8 करोड़ रु० व्यय करने का प्रावधान था, जिससे 53.9 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त कृषि और 4.5 लाख हेक्टेयर गैर-कृषि भूमि में भूसंरक्षण कार्यक्रमों को लागू किया जा सके। 1973-74 के अन्त तक 166 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि भूसंरक्षण के अन्तर्गत आ चुकी थी। 1974-75 के अन्त तक 180 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर भूसंरक्षण क्रियाएं की गईं। इसके अन्तर्गत 20 लाख हेक्टेयर कटाव से ग्रस्त भूमि पर वनरोपण और चरागाहों के विकास कार्य किए गए। 1976-77 के अन्त तक भूसंरक्षण का कार्य 196 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया जा चुका था। 1977-78 के दौरान भूसंरक्षण का क्षेत्र 2.1 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने के प्रयास किए गए। पिछले दो वर्षों में भूसंरक्षण का क्षेत्र बढ़कर 2.25 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसके बावजूद अभी भूसंरक्षण कार्यक्रमों को अधिक विस्तृत क्षेत्र पर कार्यान्वित करना है।

वर्तमान जनसंख्या से उत्पन्न गंभीर आर्थिक खतरों को देखते हुए हमें चाहिए कि भूमि का प्रयोग इस प्रकार करें कि भूमि से पूरा-पूरा फायदा उठाना संभव हो। इसके अतिरिक्त मितव्ययिता के साथ कृषि आदानों का समुचित प्रयोग करना होगा, क्योंकि मृदा संरचना में संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। चूंकि कृषि भूमि का क्षेत्रफल जनसंख्या के दबाव के लिहाज

[शेष पृष्ठ 12 पर]

आदिवासियों का विकास यथार्थवादी दृष्टिकोण आवश्यक

दीनानाथ दुबे

हमारे देश में 1971 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की संख्या 3 करोड़ 80 लाख हैं, जो समूची जन-संख्या का 7 प्रतिशत है। ये असम, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में विशेष रूप से हैं। सर्वाधिक आदिवासी मध्य प्रदेश में बसते हैं। संथाल, भील, गोंड, कोल, कोया, बैक, मीणा, सहरिया आदि प्रमुख आदिवासी जनजातियां हैं। आदि-वासियों को सर्वाधिक क्षति अंग्रेजों द्वारा पहुंची क्योंकि उन्होंने आदिवासियों को शेष लोगों से अलग-थलग रखने की नीति अपनाई। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज ये आदिम जनजातियां सबसे पिछड़ी हुई हैं।

इस जनजाति वर्ग का आज राष्ट्रीय जीवन में कोई विशेष स्थान नहीं है। यद्यपि ये जिन जंगलों में रह रहे हैं, वहां पर महत्वपूर्ण वानस्पतिक भंडार और वनाधारित उद्योगों के विकास की प्रचुर गुंजाइश है, किन्तु उनका समुचित विकास न होने के कारण वे अत्यंत दरिद्री जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठक्कर बापा जैसे महान लोगों ने आदिवासियों के उत्थान के लिए जो प्रयत्न किए हैं उसका ही परिणाम रहा है कि लोगों को आदि-वासियों की यथार्थ स्थिति का पता चला। यद्यपि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रयास किए गए हैं, फिर भी उनकी स्थिति में यथेष्ट सुधार नहीं हुआ है। अब तक के अनुभव से स्पष्ट है कि बदलती हुई परि-स्थितियों में जब तक उनके समीप ही स्वावलम्बी जीवन व्यतीत करने का कोई कारगर जरिया नहीं ढूंढ़ा जाएगा, तब तक वे प्रगति की दौड़ में पिछड़े ही रहेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था है कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों के शिक्षा सम्बन्धी और आर्थिक हित साधन का विशेष ध्यान रखेगा, खासतौर पर अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के हितों का और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। संविधान में आदिम जातियों के लिए कुछ संरक्षण भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 339 में यह व्यवस्था की गई है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अन्दर ही एक आयोग की स्थापना की जाएगी जो इस वर्ग के कल्याण के लिए अपना प्रतिवेदन दे। स्व० उ० न० ढेबर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई और आयोग ने काफी अध्ययन और विचार विमर्श के बाद 1960 में अपना प्रति-वेदन प्रस्तुत किया। आयोग ने कुछ समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने पर विशेष बल दिया था। आयोग के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार थे:

- अधिकांश राज्यों में आदिम जातियों के हितों की रक्षा करने और बाहरी व्यक्तियों द्वारा शोषण करने से रोकने के लिए की गई व्यवस्था ने संतोष-जनक ढंग से काम नहीं किया है। महाजनों, वनों के ठेकेदारों की अवांछनीय कार्यवाहियों से आदिम-जातियों के क्षेत्रों में जमीन का स्वामित्व बदलता रहा है।
- बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में औद्योगिक तथा अन्य विकास योज-नाओं के कारण बहुत से आदिवासियों को अपना घरबार छोड़ना पड़ा है।
- आदिम जाति के क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी प्रशिक्षित और कुशल होने चाहिए, ताकि वे वन श्रमिक सहकारी समिति आदि के संगठन व कार्य में अपनी निश्चित भूमिका अदा कर सकें।
- आदिम जाति क्षेत्रों के विकास में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों का अपना विशेष महत्व है। इन संगठनों के विकास का प्रयत्न होना चाहिए।

आयोग ने जन जातियों के लिए रोजगार देने, स्थानीय कच्चे माल के आधार पर लघु और कुटीर उद्योग खोलने पर विशेष जोर दिया था। आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से आदिवासियों की स्थिति में क्या सुधार हुआ है, इसको जांचने का दुबारा कोई प्रयास नहीं किया गया। इस वजह से आदिवासियों के जीवन में कहां तक प्रगति हो सकी है, कुछ कहना मुश्किल है। किंतु हमें यह मानकर चलना चाहिए कि अभी आदिवासियों की की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है, आज भी उनकी स्थिति पूर्ववत है।

बिहार में आदिवासियों को रोटी-रोजी के लिए अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, जहां उन्हें बंधुआ मजदूर की जिंदगी बिताने को बाध्य होना पड़ता है। जंगलों के अंधाधुंध कटान और औद्योगिक व खनन विकास परियोजनाओं में भूमि अधिगृहीत किए जाने से उन्हें कृषि के पुश्तैनी पेशे से वंचित होना पड़ा है। पास की परियोजनाओं में काम न मिलने से उनकी स्थिति अत्यंत दारुण है। आदि-वासियों को औद्योगिक परियोजनाओं में रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश का भी कोई खास प्रभाव

नहीं पड़ा है। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने आदिवासियों की स्थिति की जांच के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति की थी। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, "वस्तुतः विकास के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा यदि जन जाति के कबीलों को उनकी परम्परा और संस्कृति के अनुरूप बढ़ाने का उपक्रम नहीं किया गया। बड़े उद्योग जिन जन-जाति वाले क्षेत्रों में स्थापित हुए हैं वे एक निर्जन द्वीप के समान नहीं रह सकते। कुछ हद तक उन्हें भी आदिवासियों को अपनाना होगा। इसलिए जन जातियों के लोगों के प्रति रोजगार की नीति में परिवर्तन जरूरी है। उन्हें उद्योग में खपाने के लिए भरती, प्रशिक्षण, उन्नति आदि के अवसर देने में काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस जमीन पर जिन उद्योगों की स्थापना हुई है कभी उन पर जन जातियों का अधिकार था और अब उद्योग लगाने से उनकी जमीन छिन गई है। अतः आवश्यक है कि उन्हें रोजगार दिया जाए।" इस प्रतिवेदन के आधार पर श्रम आयोग ने भी जन जातियों को रोजगार देने में प्राथमिकता देने पर बल देते हुए कहा है कि यह मैनेजमेंट का कर्तव्य है कि वह विस्थापित आदिवासियों को प्रशिक्षण आदि देकर उन्हें निपुण और अनिपुण कर्मचारी के रूप में रोजगार दे।

मूलतः प्रत्येक राज्य में आदिवासियों की स्थिति भिन्न है। इनकी भी तीन श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी में ऐसे आदि-वासी हैं, जो जमीन के मालिक हैं और खेती करते हैं। दूसरे वे आदिवासी हैं, जो सरकारी या निजी कोयला या मैंगनीज खदानों में कार्य करते हैं। तीसरी श्रेणी में वन श्रमिक आते हैं, जो ठेकेदारों आदि के साथ काम करते हैं। आदिवासियों में कर्जदारी अधिक है। यहां तक की दैनिक जीवन का खर्च चलाने के लिए भी उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। साहूकार, महाजन आदि उनका जमकर शोषण करते हैं। आदिवासी जिन जंगलों में बसते हैं उनमें अतुल प्राकृतिक सम्पदा छिपी हुई है। यद्यपि वे जड़ी-बूटी और वनस्पतियों के महत्त्व को जानते हैं, परंतु आज तक उनके समुचित दोहन का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। यदि इनका वानस्पतिक सर्वेक्षण किया जाए तो कई आशातीत नतीजे सामने आ सकते हैं। अतः वान-स्पतिक विकास के जरिये रोजगार के अवसर को बढ़ाया जा सकता है।

रोजगार और स्वावलंबी अर्थ-व्यवस्था का दूसरा जरिया वनाधारित उद्योगों के विकास का है। आदिवासियों को अभी रोजगार लाख उद्योग से मिला हुआ है। यह उद्योग न केवल देश की आवश्यकता पूरी करता है वरन विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है। इस उद्योग के विकास की अभी भी प्रचुर संभावना है। लाख की तरह कत्था निकालने, गोंद संकलन, राल, तारपीन आदि उद्योगों के विकास की प्रचुर गुंजाइश है। कुटीर उद्योगों के अंतर्गत टोकरी, चटाई, फर्नीचर आदि उद्योग खड़े किए जा सकते हैं। अन्य वन उत्पादनों हर्रे, बहेड़ा, आंवला, तेंदू के पत्ते, चिरौंजी, करंज, रेशा आदि के संग्रह-प्रशोधन के काम को लाभदायक धंधे के रूप में विकसित किया जा सकता है।

1960 में ढेबर आयोग तथा 1965 में लाख कर्मचारी दल द्वारा वनाधारित उद्योगों के विकास के लिए एक कारगर संगठन की सिफारिश की गई थी, ताकि अछूती सम्पदा का उपयोग हो और इसके माध्यम से आदिवासियों को रोजगार मिल सके। इस दिशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा खादी व ग्रामोद्योग आयोग को वनाधारित उद्योगों के विकास का दायित्व सौंपा गया है। किंतु इसके लिए स्वतंत्र रूप से एक पृथक संगठन होना जरूरी है।

आदिवासी जिन क्षेत्रों में रह रहे हैं वहां न केवल वनाधारित उद्योगों अपितु कई प्रकार के खदान उद्योगों के विकास की गुंजाइश है। किंतु इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। सहकारी समिति और निजी उद्यम के आधार पर आदि-वासियों के लिए बिना ब्याज के ऋण एवं अन्य उपकरणों की सहूलियतें जरूरी हैं। इसके लिए ऋण देने के नियमों में कुछ छूट दी जानी आवश्यक है। चूंकि ढेबर आयोग को प्रतिवेदन दिए करीब बीस वर्ष हो गए हैं, अतः अब पुनः आदिवासियों की समस्याओं का मूल्यांकन होना जरूरी है ताकि आगामी वर्षों में आदिवासियों के विकास के लिए अतीत के निष्कर्षों के आधार पर अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

संक्षेप में आदिवासियों के विकास के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है। इस दिशा में आदिवासियों के विकास के लिए एक स्वतंत्र प्राधि-करण का होना नितांत आवश्यक है। स्वैच्छिक रचनात्मक संस्थाओं को भी इन क्षेत्रों में काम करने के लिए भरपूर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अखिल भारतीय वनवासी गिरजन संस्थाओं ने आदिवासियों के बीच प्रौढ़ शिक्षा का सराहनीय कार्य किया है। □

[पृष्ठ 10 का शेष]

से काफी सीमित है, इसलिए विस्तृत खेती की संभावनाएं बहुत कम हैं। इस-लिए हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए उपलब्ध कृषि भूमि पर बहु-फसलीकरण करना चाहिए। नई खेती प्रविधि को अपनाकर प्रति हेक्टेयर उपज भी बढ़ानी चाहिए। साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि भूमि का संतुलित उपयोग किया जाए अर्थात भूमि के प्रत्येक टुकड़े का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जाए। जो क्षेत्र कृषि के योग्य नहीं हैं उन्हें वन और चराई के उपयोग में लगाया जाए। इस सम्बन्ध में मिट्टी और भूमि उपयोग सर्वेक्षण की नितांत आवश्यकता है।

इसमें संदेह नहीं कि भूमि उपयोग योजना को लागू करने पर भूमि उपयोग और फसल प्रतिरूप कार्यक्रमों को परखने की एक स्वस्थ परंपरा कायम हो सकेगी। इसकी बदौलत कृषि पदार्थों की बढ़ती मांग तथा आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तनानुसार ऐसी सही दिशा की तलाश की जा सकेगी जिसमें भूमि से अधिकतम लाभ उठाया जा सके। आज समय की मांग है भूमि उपयोग के अन्तर्गत भूमि को सही व उपयुक्त उपयोग में लगाने से सम्बन्धित समस्याओं और निर्णयों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन-मूल्यांकन करने की। तभी सीमित भूमि का इष्टतम उपयोग संभव हो सकेगा। □

ले आए हैं ढूंढ़ कर ऊर्जा के नए स्रोत

कुलदीप शर्मा

ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत जैसे तेल, गैस, कोयला, लकड़ी आदि हजम करने के बाद अब जिज्ञासु मानव ऊर्जा के नए स्रोतों की तलाश में भटक रहा है। हालांकि 'सूर्य देवता' को कैद करने की ठान ली गई है, मगर यह पकड़ कुछ हद तक ढीली जान पड़ रही है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऊर्जा के नए, अनोखे स्रोत ढूंढ़ निकाले हैं जो अपेक्षाकृत बेहद सस्ते हैं।

समुद्र मंथन से ऊर्जा

देवासुर भले ही समुद्र मंथन से अन्य रत्नों के साथ ऊर्जा न निकाल पाए हों, मगर कनाडा के डा० ब्रायन लार्किन साइ-फन के सिद्धान्त को आधार बनाकर ऐसी तकनीक खोज लाए हैं जिससे समुद्र से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। नेशनल रिसर्च काउन्सिल के यांत्रिक इंजीनियरी विभाग में कार्य कर रहे डा० ब्रायन ने मात्र खोखली ट्यूबों द्वारा यह कमाल कर दिखाया है। असल में थर्मो-साइफन नामक इस युक्ति में एक खोखली ट्यूब है जिसके निचले भाग में एक द्रव भर दिया जाता है, जो आसपास के वातावरण से उष्मा लेकर उबलने लगता है और फिर वाष्पित हो ऊपर की दिशा में संघनित भी हो जाता है और ऊर्जा छोड़ता है। इस युक्ति द्वारा ऊर्जा एक स्थल से दूसरे स्थल तक आसानी से भेजी जा सकती है। जैसा कि साइफन का सिद्धान्त है, यह स्थल या तो बराबर के स्तर पर हो या फिर नीचा हो। थर्मो-साइफन में प्रयुक्त द्रव आधा द्रव और आधा भाप अवस्था में रहता है। इसके अलावा ट्यूब के ऊपरी भाग में द्रव की कुछ भाप एकत्र रहती है, परिणामस्वरूप नलिका में दबाव कम हो जाता है, जिससे नलिका के गर्म भाग में उपस्थित द्रव उबलने लगता है और कुछ समय बाद एक स्थिर ताप पर बाह्य वातावरण से ऊष्मा चुरा लेता है। इस तरह से उत्पन्न भाप नलिका के ठंडे हिस्से में जाकर संघनित होती है और ऊर्जा छोड़ती है। यही नहीं आगे चलकर संघनित द्रव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नलिका के निचले भाग में वापस पहुंच जाता है और पुनः ऊर्जा का अवशोषण शुरू हो जाता है। इस तरह से क्रिया बराबर चलती रहती है और ऊर्जा मिलती जाती है।

इस युक्ति की खास बात यह है कि इसमें किसी प्रकार की पावर देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यह अत्यन्त साधारण संरचना पर आधारित है जिससे इसमें खराबी या टूट फूट की गुंजाइश नहीं है।

युक्ति का सफल परीक्षण हाल ही में एक बन्दरगाह पर किया गया। ठीक इसी तरह इसका प्रयोग मुर्गी पालन में भी किया जा रहा है। कनाडा में इस सिद्धान्त से मुर्गियों के दड़बे का ताप समान रूप से वितरित करने के लिए विशेष ताप विनिमायक (हीट एक्सचेंजर) बनाए गए हैं। यही नहीं डा० ब्रायन को आशा है कि निकट भविष्य में इस युक्ति द्वारा घरों को भी गर्म रखा जा सकेगा।

खिड़की के बाहर की हवा से ऊर्जा

और अब लीजिए कहीं दूर जाने का कष्ट न उठाइए। अपने घर की खिड़की के बाहर बहती हवा से ही आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और अपना पानी आदि गर्म कर सकते हैं। यह अनोखी युक्ति पीट्सबर्ग की एक कम्पनी द्वारा विकसित की गई है। असल में इस युक्ति द्वारा उष्मा पंपों से बाहर की गर्मी प्राप्त कर ली जाती है। और फिर उसे कमरे में लगी एक विशेष युक्ति तक पहुंचा दिया जाता है जो पानी को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देती है। मूल रूप में ऊर्जा प्राप्त करने की यह युक्ति मोटर कम्प्रेशर, वाष्पीकारक वाल्व, कंडेंसर और रेफ्रीजिरेटर से बनी होती है। सभी भाग उनके कार्यों के अनुरूप व्यवस्थित होते हैं। बाहर की हवा से ली गई ऊर्जा रेफ्रीजिरेटर द्वारा पानी तक पहुंचा दी जाती है और वह गर्म हो जाता है।

कम्पनी का विश्वास है कि निकट भविष्य में इस युक्ति का उपयोग होटलों तथा कारखानों में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए किया जा सकेगा। विशेषज्ञों की राय में इस तरह से ऊर्जा प्राप्त कर पानी गर्म करने की युक्ति आम उष्मकों से कहीं अधिक सफल है।

कूड़े से ऊर्जा

कहावत है कि कभी तो घूरे के दिन भी फिरते हैं। जी हां अब कूड़े के ढेर से ढेर सारी ऊर्जा प्राप्त की जा सकेगी। हाल ही में ब्रिटेन की फर्म फ्लेमलेस फर्नेसेज द्वारा एक ऐसा सन्यन्त्र तैयार किया गया है जिसमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कूड़े-कचरे का प्रयोग किया जाता है। यह संयंत्र चौकोर बक्से की शक्ल का है। इसके भीतर की दीवारों पर परावर्ती (रिफ्रेक्टरी) पदार्थ लगाया गया है जो ताप बढ़ाने में सहायक है। संयंत्र की तली पर 600 से 900 मिलीमीटर गहरी रेत की परत बिछाई जाती है। तल का ताप 900 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। तल के ऊपर ही दो झुकी हुई छिद्रयुक्त प्लेटें रहती हैं, जिनमें से फ्लूडाइज वायु गुजारी जाती है। इससे होता यह है कि जब संयंत्र को चलाया जाता है तो वहां रखा कूड़ा एक घुरी

पर गोल शक्ल में तेजी से घूमने लगता है और इस तरह घर्षण द्वारा वह पूरी तरह जल जाता है । शेष बची राख डिफ्यूजर प्लेट द्वारा अलग हो जाती है जिसे बाद में न्यूमेटिक वाहक द्वारा भंडारित कर दिया जाता है । और इस तरह "कूड़ा दहन" से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है । इस संयंत्र द्वारा अब तक अन्य संयंत्रों की अपेक्षा 17 प्रतिशत अधिक ऊर्जा प्राप्त की जा सकी है ।

ठीक इसी प्रकार की एक युक्ति स्वीडन में भी ईजाद की गई है । ब्रिनी नामक इस युक्ति में पहले कूड़े की छोटी-छोटी गोलियां बना ली जाती हैं जिन्हें बाद में जलाकर ऊर्जा प्राप्त की जाती है । हमारे देश में भारी मात्रा में कूड़ा जमीन के नीचे दबा दिया जाता है या फिर उसे यूं ही जला दिया जाता है । अगर इन तकनीकों को अपनाकर ऊर्जा प्राप्त की जाए तो एक तो हम ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ राहत पा सकते हैं दूसरे प्रदूषण की समस्या से भी बच सकते हैं । स्वयं स्वीडन में प्रतिवर्ष सारे कूड़े का एक चौथाई भाग जलाया जाता है । शेष जमीन के नीचे दबा दिया जाता है । विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि सारे कूड़े को जलाया जाए तो उससे प्राप्त ऊर्जा 4,00,000 घनमीटर तेल से प्राप्त ऊर्जा के बराबर होगी । यहां अल्बर्ट आइन्स्टीन के ऊर्जा सूत्र का यदि जिक्र किया जाए तो उसके अनुसार प्राप्त ऊर्जा (एनर्जी) द्रव्यमान (मास) और प्रकाश की गति के वर्ग के गुणित फल के बराबर होगी । परमाणु से ऊर्जा प्राप्त करने के पीछे यही सिद्धान्त है । मोटे तौर पर यूं समझ लीजिए कि अगर एक पौंड कोयले को पूर्णतया ऊर्जा में बदलना संभव हो तो 10 अरब किलोवाट घन्टों से भी अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी यानी किसी भी द्रव्य की केवल 10 पौंड मात्रा से सारी दुनिया की एक महीने की विद्युत आवश्यकता पूरी की जा सकती है । परन्तु दुख का विषय है कि विज्ञान पिटारी से अभी ऐसा चमत्कार संभव नहीं हो पाया है । कूड़ा दहन इस दिशा में एक छोटी सी शुरुआत है, मगर ऊर्जा प्राप्त करने में खासा योगदान है ।

हाल ही में न्यूजीलैंड में भी बहुत कुछ ऐसा ही किया गया है । वहां की सबसे बड़ी कोआपरेटिव डेयरी ने पश्चिमी जर्मनी द्वारा तैयार किए गए एक उपकरण के आधार पर मात्र लकड़ी के छीलन आदि का प्रयोग कर अधिक ऊर्जा प्राप्त की है और अपने ईंधन के खर्च में अस्सी प्रतिशत की कमी कर दिखाई है । इस संयंत्र में लगे बर्नरों के ऊपर 30 टन के भंडारण में सक्षम साइलो बिन लगे रहते हैं । इन्हीं में घूमती पट्टिकाओं द्वारा लकड़ी की छीलन आदि भर दी जाती है । इस तरह ईंधन प्राप्त करने वाले बर्नर की लौ 30 से 45 सेंटीमीटर तक लम्बी जाती है । इसके अलावा संयंत्र में गर्म करने के लिए प्राकृतिक तेल भी प्रयोग किया जाता है । इस तरह से प्राप्त अतिरिक्त ऊर्जा ताप बढ़ाने में अत्यन्त कारगर सिद्ध हो रही है । डेयरी इस युक्ति की सहायता से अब तक अपनी आर्थिक स्थिति में अपेक्षाकृत काफी बढ़ोतरी कर चुकी है । विशेषज्ञों का विचार है कि इस युक्ति में और भी सुधार करके ताप बढ़ाया जा सकेगा, साथ ही ईंधन की मात्रा और भी कम की जा सकेगी ।

ज्वालामुखी से ऊर्जा

हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने धधकते ज्वालामुखी से ऊर्जा प्राप्त कर अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है । हवाई के इंजीनियरों ने किलोओए ज्वालामुखी के पास तीन मेगावाट का परीक्षणात्मक विद्युत संयंत्र लगाने की योजना बनाई है जिस पर अनुमानतः 70 लाख डालर का खर्चा आएगा । अपने परीक्षण में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के दल ने ज्वालामुखी के पास 965 मीटर नीचे गहरे स्थान पर प्राप्त अत्यन्त गर्म पानी को अपने प्रयोग का निशाना बनाया । उन्होंने विद्युतीय जेनरेटर का सम्बन्ध इस पानी से कर दिया और उसे उच्च तापक्रम में बदल डाला । जब भाप का दबाव जेनरेटर पर पड़ा तो उससे ऊर्जा उत्पन्न हुई और जेनरेटर चल पड़ा ।

अपने परीक्षण में वैज्ञानिकों ने पाया कि प्राप्त जल 358 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप का था जो जल का अब तक का सर्वाधिक ताप है । वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भविष्य में यह जल 500 मेगावाट की विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकेगा ।

अमेरिका में तेल के विश्वव्यापी अभाव को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के भूगर्भीय ऊर्जा स्रोतों की खोजबीन जोर-शोर से की जा रही है, जिसके लिए इटली, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि की सहायता ली जा रही है । फिलहाल एक भूगर्भीय ताप विद्युत संयंत्र उत्तरी कैलिफोर्निया में संचालित है और आशा की जाती है कि इस वर्ष के प्रारम्भ तक 3 मेगावाट का एक और संयंत्र ऊर्जा पैदा करने लगेगा । साथ ही विश्व के और देश भी इस दिशा में कदम उठाएंगे । इस प्रकार ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जल का परीक्षण करना विशेष महत्व रखता है । अगर जल में सल्फर या फिर सोडियम क्लोराइड जैसे तत्वों की अधिकता हुई तब वायु प्रदूषण की समस्या खड़ी हो जाएगी । अतः प्रयोग से पहले जल का शुद्धिकरण भी आवश्यक है ।

सूरजमुखी से ऊर्जा

ऊर्जा पाने के लिए मानव ने फूलों पर भी धावा बोल दिया है । हाल ही में डकोटा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने सूरजमुखी के तेल से ट्रैक्टर आदि के इंजन चलाकर नया उदाहरण पेश किया है । इन वैज्ञानिकों ने डीजल में सूरजमुखी के तेल को मिला कर इंजन चलाया । यद्यपि सूरजमुखी का तेल अपेक्षाकृत भारी होता है, परन्तु वैज्ञानिकों का अनुमान है कि भविष्य में विभिन्न रसायन मिला कर इसे हल्का किया जा सकेगा और तब केवल सूरजमुखी के तेल द्वारा ही इंजन चलाना संभव हो सकेगा ।

ऊर्जा के लिए जिज्ञासु मानव का यह भटकाव क्या पता कल कोई ऊर्जा का सस्ता और बड़ा भंडार खोज निकाले । इंतजार कीजिए 'ऊर्जा-युग' का । □

छोटा परिवार सुखी परिवार

होली ने खोला है फाटक

नए हर्ष के दरवाजे का
होली ने खोला है फाटक,
अब कोई भी देख सकेगा
रंगों का रस भीना नाटक ।

मन का प्यार उंडेल रही है
रंगों के मिस पिचकारी,
जन-समुदाय हुआ फुलवारी
देह बनी है क्यारी-क्यारी ।

मनोभाव सबके जीवन में
नई लगन का है उद्घाटक,
नए हर्ष के दरवाजे का
होली ने खोला है फाटक ।

हिमगिरि से लेकर सागर तक
नई हिलोर लगी है बहने,
जैसे बांटे हों वसंत ने
दिग्दिगन्त फूलों के गहने ।

दिग्व्यापी सहकार मुदित है
पुलकित है सहयोग टकाटक,
नए हर्ष के दरवाजे का
होली ने खोला है फाटक ।

हास्य-व्यंग्य प्रस्फुट होता है
फेन राशि हो ज्यों निर्झर की,
चंग-ढोल का राग-रंग है
चहल-पहल मानों घर-घर की ।

हित की पुस्तक रखी सामने
पढ़ सकता कोई भी पाठक,
नए हर्ष के दरवाजे का
होली ने खोला है फाटक ।

जगदीश चन्द्र शर्मा

स्वर्ग धरती पर उतारें

रूप धरती का संवारे
स्वर्ग धरती पर उतारें ।

रेत के टीले हटाएं
बंजरों में हल चलाएं
काम कर पूरी लगन से
भूमि को उर्वर बनाएं

लहलहाएं हर दिशा में
सघन वृक्षों की कतारें ।

खोदें कुएं नहरें बनाएं
बांध लें जल को

आओ, नदियों की
दिशाएं मोड़ लाएं

मन-सुने प्यासी धरा का
मन-तरंगों की सितारें ।

आम, नीबू, सेब के
अनगिनत उपवन बसाएं
खलिहान में न समाएं
ऐसे किशमिशी गेहूं उगाएं

सूरज मुखी के खिलखिलाते
खेत की शोभा निहारें ।

सुरेश विमल

शामगढ़ की कहानी

शक्ति त्रिवेदी

हरियाणा के करनाल जिले में एक छोटा सा गांव है शामगढ़ । गांव की आबादी चार हजार से ऊपर है । इस गांव में किसान और पशुपालक मिले-जुले बसे हुए हैं । शामगढ़ में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने ओ० आर० पी० (आपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट) के अंतर्गत फरवरी 1976 में दुग्ध क्रान्ति का श्रीगणेश किया ।

दूध के लिए भैंसों को ही अधिक दुधारू माना जाता था और गायों की उपेक्षा होती थी । इन आयोजनाओं के कार्यकर्ताओं ने विदेशी नस्ल के संकरण से गांव वालों को यह सिद्ध कर दिखाया कि कम समय में अधिक दूध देने के लिए और मोटे चारे पर गोपालन हो सकता है । होलस्टीन फ्रीजियन से एक ओर गरीब पशुपालक की आय बढ़ेगी तो दूसरी ओर दूध का उत्पादन भी कई गुना बढ़ता रहेगा । इस आयोजना के कार्यकर्ता श्री सिंह ने गांव वालों को समझाया कि देसी गाय का दूध न देने का समय (गैर ब्यांत अवधि) 210 दिन है जबकि "होलस्टीन बछिया" केवल 90 या 100 दिन तक ही दूध नहीं देती । दूसरे, इन बछियों का पहला ब्यांत ढाई साल की उम्र में शुरू हो जाता है, जबकि देसी बछिया का ब्यांत और गाभिन करने का समय साढ़े तीन-तीन चार साल बाद शुरू होता है । तीसरे, एक ब्यांत में देसी बछिया पांच सौ लीटर औसतन दूध देती है जबकि संकर बछिया इससे तीन गुने से भी अधिक (तेईस सौ लीटर) दूध देती पाई गई है । गांव वाले इन बातों से काफी प्रभावित हुए ।

शामगढ़ गांव में भड़भूजा, दर्जी आदि कमजोर वर्ग के लोगों ने अपनी देशी गायों को "होलस्टीन नस्ल" के सांडों के आयातित वीर्य से ओ०आर०पी० केन्द्र पर तकनीकी लोगों की देख-रेख में गाभिन कराया । इनसे जो बछिया पैदा हुई, वे विभिन्न आयु वर्ग में इनके घरों में पाली जा रही थीं, जिन्हें मैंने घरों में जाकर देखा । एक कुम्हार गोपालक से, जिसकी बछिया करीब ढाई वर्ष की थी, मैंने बातचीत की तो उसने बताया कि इस संकर बछिया को गंदगी से परहेज है । गोमूत्र, गोबर और कीचड़ में सनी जमीन पर बंधे रहने से इन्हें चीचड़ी व कीट व्याधियां वगैरह सताती हैं ।

उसकी शिकायत सुनकर मैंने अधिकारी श्री सिंह से पूछा कि इसका आप क्या इलाज कर सकते हैं ? श्री सिंह ने उस कुम्हार गोपालक को बताया कि बछिया के लिए इसका इलाज पक्का चबूतरा बनाना है । किन्तु देखा गया कि पक्के चबूतरों पर पानी पड़ने से ये गायें फिसल जाती हैं । इसलिए हमारे चिकित्सक समय-समय पर इन गायों के माहौल और तन्दुरुस्ती की पूरी देखभाल मुफ्त करते हैं । विदेशी संकर गाय ज्यादा दूध क्यों देती हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि हमारी गायों की आनुवंशिक क्षमता काफी कमजोर है । काफी खिलाई पिलाई के बाद भी इनसे 50 प्रतिशत दूध ही मिल पाता है जबकि विदेशी रक्त से तैयार गायों को हरा चारा, भूसा और हाफेड का पशु आहार मिश्रण देने पर बिना दाने और खली के भी सामान्यतया 10 लीटर दूध मिल जाता है ।

होल्स्टीन नस्ल की गाय

1980 में इस गांव में 160 देशी गाय और 300 संकर गाय पाली जा रही थीं। ओ०आर०पी० के अंतर्गत शामगढ़ जैसे ही 27 छोटे-छोटे गांवों के चार समूह बनाए गए। इस प्रायोजना को मूल रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ही पैसा देती है। वैसे इसमें हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चारा शोध केन्द्र और आई० ए० आर० आई० का भी सहयोग मिल रहा है।

शामगढ़ गांव में "स्टेट बैंक आफ पटियाला" एवं "युनाइटेड कर्माशियल बैंक" द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज पर इन गाय-भैंसों की खरीद हेतु कर्जा देने का काम भी चल रहा है। इसमें तकनीकी सहायता राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान देता है। 35 लाख रुपये में से 6 लाख रुपया दुधारू पशुओं की खरीद पर पशुपालकों को दिया जाता है। इन पशुओं में संकर गाय और भैंस दोनों हैं। अन्य राशि नलकूप, फसल, गोबर गैस प्लांट तथा परिवहन आदि के लिए काम में लाई गई है। 2 प्रतिशत ब्याज पर "पंजाब नेशनल बैंक" ने भी छोटे और भूमिहीन किसानों को मदद देने का काम इस गांव में आरम्भ किया है।

मुझे इस गांव में सबसे मजेदार बात यह लगी कि ऋण के देने का तरीका बहुत सीधा-साधा था। प्रायोजना के कार्यालय पर रहने वाला "पशुपाल" पशु की जांच करेगा और कर्ज पर पशु लेने वाले मालिक को बिना किसी दलाली या कमीशन के पशु की खरीद करा देगा। शामगढ़ गांव में उधार की भैंस खरीदने वाले 20 किसान थे जो हर माह 150 रु० की किस्त देकर इस रकम को दो साल में वापस कर रहे हैं। ये किस्त उन्हें दूध से प्राप्त आमदनी से ही मिलती हैं। मेरे सवाल के जवाब में श्री सिंह ने बताया कि 80 प्रतिशत किसान पैसा देने में ईमानदार हैं और इस मदद का पूरा फायदा उठा रहे हैं।□

छोटा परिवार सुखी परिवार

28 लाख को नए रोजगार

खादी और ग्रामोद्योग आयोग पिछले 25 वर्ष से निर्धनों, विशेष रूप से गांवों में रहने वाले निर्धनों, की आर्थिक दशा सुधारने के कार्यक्रम में संलग्न है। आयोग कारीगरों, निरीक्षकों, तकनीकी कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह कारीगरों को आर्थिक सहायता देता है, उन्हें कच्चा माल और सुधरे हुए औजार उपलब्ध कराता है तथा उनकी निर्मित वस्तुओं की बिक्री की भी व्यवस्था करता है। आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के अधीन है।

सरकार ने हाल ही में एक कार्यकारी दल गठित किया था। इस दल ने आयोग के संगठन संबंधी ढांचे में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। आयोग के अधिकांश कार्यक्रम राज्यों के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं, इसलिए आयोग और राज्य बोर्डों में स्वस्थ संपर्क आवश्यक है। इसी दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों का विस्तार 24 राज्य बोर्डों के माध्यम से लगभग एक लाख गांवों में हुआ है। इसकी गतिविधियां कुछ राज्यों तक ही सीमित हैं। इस स्थिति में सुधार के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर-कृषि गतिविधियों से लाभान्वित होने वाले 200 परिवारों में से 100 परिवारों की सहायता खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग करेगा। यह आशा की जाती है कि इससे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत सभी राज्य समान रूप से लाभान्वित होंगे।

आयोग ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत देश भर में अब तक 29 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। सन 1984-85 तक इसके 57 लाख होने की संभावना है। 28 लाख नये रोजगार में से 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। यह भी निर्णय किया गया कि देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में आयोग अपने विभागीय एकक संचालित करेगा।

उदाहरण के लिए आयोग देश में दियासलाई के निर्माण और पूर्ति की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जब से कुटीर उद्योग के अंतर्गत निर्मित दियासलाई पर उत्पादन शुल्क में छूट दी गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सहायता प्राप्त दियासलाई एककों की संख्या 2 हजार से बढ़कर लगभग 5 हजार हो गई है। उत्पादन का मूल्य 1978-79 में 16.24 करोड़ रुपये था, 1979-80 के अन्त में उसके 31 करोड़ रुपये होने की संभावना थी। सरकार इस सम्बन्ध में चिंतित थी कि उत्पादन शुल्क में छूट का लाभ कहीं लघु उद्योगों के क्षेत्र को न चला जाए। इसलिए यह निर्णय किया गया कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अपने द्वारा सहायता प्राप्त एककों की सारी की सारी दियासलाइयां स्वयं ले लेगा। आयोग द्वारा उपलब्ध दियासलाइयों की बिक्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जा रही है।

इस प्रकार आयोग कीमतों पर रोकथाम की दिशा में उपयोगी भूमिका निभा रहा है। ऐसी योजना बनाई जा रही है कि आयोग आगामी वर्षों में चमड़ा और साबुन उद्योगों के क्षेत्र में भी अपनी गतिविधियों का बड़े पैमाने पर विस्तार करे।□

एक गांव की कहानी

हरिकृष्ण लाल

दीनापुर एक छोटा सा गांव है। स्त्री-पुरुष, छोटे-बड़े सब मिलाकर लगभग दो हजार की ग्राबादी है। गांव के निकट ही एक छोटी-सी नदी बहती है, फलस्वरूप यहां की भूमि उपजाऊ है। थोड़ी सी मेहनत से ही फसल ग्रच्छी हो जाती है। इसी कारण यहां के लोग कम परिश्रमी ग्रौर ग्राराम पसन्द हो गए हैं। गांव के बाहर बड़ के दो वृक्ष हैं। उनकी ग्रायु का जितना भी ग्रनुमान लगाया जाए थोड़ा है। सौ, दो सौ वर्ष तो क्या, पांच सौ या एक हजार वर्ष भी कही जाए तो कोई ग्रतिशयोक्ति नहीं होगी। दोनों वृक्ष पास-पास हैं इसलिए इनकी विशाल छाया में देहातियों के उठने-बैठने का ग्रच्छा स्थान बन गया है। इसका क्षेत्रफल 50-60 वर्ग मीटर से क्या ही कम होगा।

यह स्थान इस गांव की चौपाल है। गांव के सभी लोग किसी न किसी रूप में यहां परस्पर मिल सकते हैं। एक तरफ छोटे-छोटे बच्चे कुछ बिल्कुल नंगे ग्रौर कुछ ग्रर्ध-नंगे ग्रपने-ग्रपने खेलों में मस्त मिलेंगे। कुछ गुल्ली डंडा खेल रहे हैं तो कुछ मिट्टी के घर बना-बनाकर ही गिरा रहे हैं। दूसरी ग्रोर छोटी-छोटी हम उम्र बच्चियां गीली मिट्टी से कई प्रकार के खिलौने बना-बना कर ग्रपने घर बना ग्रौर सजा रही हैं। कहीं पर यही बच्चियां ग्रपनी गुड़ियों के ब्याह रचा कर संग-सहेलियों में मिट्टी की मिठाइयां बांट-बांट कर खुशी में झूम गा रही हैं।

इसी चौपाल के दूसरे किनारे पर युवक ग्रक्सर शाम को कबड्डी ग्रादि खेलते दिखाई देते हैं। यह चौपाल बूढ़ों के लिए तो सब कुछ है। उनके लिए मन्दिर, गुरुद्वारा भी यही, घर ग्रौर खेत भी यही, क्योंकि वे लोग समझते हैं कि घर में लेटे खांसने से चौपाल में ग्रपने साथियों के साथ कुछ सुनना ग्रौर कुछ सुनाना या ग्राप बीती ग्रौर जगबीती पर विचार-विमर्श करना कहीं ज्यादा ग्रच्छा है।

इन्हीं बूढ़ों में दयाल दास नामक एक ब्राह्मण महाशय भी हैं। यह फौज में दफादार रह चुके थे। हिन्दी-उर्दू के शब्दों का काम चलाऊ थोड़ा बहुत ज्ञान इनको है। कभी ग्रखबार भी पढ़ लिया करते हैं। बस ज्यों ही दयाल दास चौपाल में पहुंचे समझो कि बूढ़ों का ग्रखाड़ा जम गया। एक को कोसना, दूसरे को कोसना या सरकारी कर्मचारियों पर कोई न कोई दोष लगाना उनका रोज का काम था। बाकी लोग भी फिर हां में हां मिलाने से नहीं चूकते थे, क्योंकि ग्राधे से ग्रधिक गांव तो शरणार्थियों का है।

यह शरणार्थी भी अब एक पृथक उपजाति ही बन रही है। जैसे ब्राह्मण, खत्री, बनिये, राजपूत, जाट ग्रादि हिन्दुग्रों में ग्रनेक उप-जातियां हैं। इसी प्रकार देश के विभाजन ने शरणार्थी नाम की एक ग्रौर श्रेणी पैदा कर दी है। सरकार ने इन शरणार्थियों को पुनः बसाने के लिए करोड़ों रुपये व्यय कर दिए हैं ग्रौर ग्रागे भी कर रही है।

खैर, हम बात कर रहे थे चौपाल की, जहां बच्चे ग्रौर बूढ़े तो ग्रपने समय का उचित प्रयोग कर ही लेते थे पर गांव के नवयुवक जिनके कंधों पर गांव की उन्नति का भार है वे तो यहां ग्रपना समय व्यर्थ की गपशप में ही नष्ट करते थे। ताश ग्रौर चौपड़ खेलना दो लतें इस गांव के नवयुवकों को घेरे थीं। वे दिन-प्रतिदिन ग्रपने कर्तव्यों से भी विमुख होते जा रहे थे। ग्रभी कुछ दिन हुए नदी में बाढ़ ग्रा गई। बांध टूट गया ग्रौर बीसों खड़े खेत बाढ़ में बह गए। ताश ग्रौर चौपड़ के खिलाड़ियों को तब पता चला जब हजारों मन ग्रनाज के हरे-भरे खेतों का नाश हो गया।

इसी तरह दो मास पूर्व केवल दो गीदड़ों ने ही खरबूजे के दो खेतों में एक दाना भी ऐसा नहीं छोड़ा जो बीज के भी काम ग्रा सकता।

मुखिया का परिवार :

रामदत्त दीनापुर गाव का मुखिया है यद्यपि वह इस गांव में जन्मा ग्रौर पला-पोसा नहीं परन्तु जब देश का विभाजन हुग्रा ग्रौर पश्चिमी पंजाब से शरणार्थी पूर्वी पंजाब में ग्रा बसे तब रामदत्त के भाग्य में दीनापुर का दाना-पानी ही ग्राया। वह ग्रपने छोटे से परिवार यानी पत्नी गोमा, पुत्री पार्वती ग्रौर पुत्र मदन सहित सैकड़ों कष्ट क्लेश सहता हुग्रा इस गांव में पहुंचा ग्रौर फिर यहीं का हो गया। जब यह परिवार इस गांव में पहुंचा तो इसके पास पहनने के वस्त्रों के ग्रतिरिक्त दो बिस्तरे ग्रौर खाना बनाने के लिए इने-गिने छह-सात बरतन ही थे। दीनापुर पहुंच कर थोड़े ही दिनों में गांव वालों ने इन्हें ग्रपना बना लिया। किसी ने कुछ कपड़े दिए तो किसी ने कुछ बरतन। एक के घर से 20-30 सेर गेहूं पहुंच गया तो दूसरे से कुछ दालों का प्रबन्ध हो गया। किस के यहां से क्या ग्राया, यह रामदत्त ग्राज तक भी नहीं जान पाया।

समय बीतता गया। भारत सरकार ने गांवों में पंचायतों की स्थापना की घोषणा कर दी। सारे गांव ने सर्व-सम्मति से रामदत्त को ही ग्रपना मुखिया चुना। क्योंकि इन दो-चार वर्षों में ही वह गांव के प्रत्येक प्राणी को प्रेम ग्रौर स्नेह से ग्रपना बना चुका था। सब को सदा नेक सलाह देना, खुशी-गमी में सब के साथ शामिल होना रामदत्त ग्रपना कर्तव्य समझता था। जन्म का वह ब्राह्मण तो था नहीं पर रामायण का मीठे स्वर में पाठ करना उसका नित्य का नियम था ग्रौर ग्रक्सर रात्रि को गांव के कई स्त्री-पुरुष रामायण सुनने उसके पास ग्रा जाते थे। संध्या, हवन के मंत्र भी उसे कंठस्थ थे। इसलिए कभी-कभी वह पुरोहित का कार्य भी कर लिया करता था। यही नहीं छोटी-छोटी बीमारियों का इलाज करने के लिए कुछ नुस्खे भी उसे याद थे ग्रौर ग्रक्सर उसके टोटके लाभदायक ही होते थे। इन्हीं गुणों ने रामदत्त को गांव का लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया। पश्चिमी पंजाब में तो पता नहीं उसके पास कुछ भूमि थी या नहीं पर यहां गांव से एक मील की दूरी पर उसे जो जमीन मिली वह इतनी उपजाऊ निकली कि सोना ही उगलने लगी। उगलती भी क्यों न? रामदत्त ने उस जमीन पर ग्रपने शरीर का

खून-पसीना एक कर रखा था । अपने हाथों से हल चलाता, रम्भा और कस्सी लिए उसका लड़का मदन भी हर समय खेतों में काम करता ही दिखाई देता । पहले वर्ष तो उसने बैल भी जमींदार से पट्टे पर लिए थे पर एक वर्ष में ही उसने एक जोड़ी बढ़िया बैलों की भी खरीद ली थी ।

घर में बैलों की देखभाल का भार रामदत्त की पत्नी गोमा और पुत्री पार्वती पर था । बैलों के लिए सानी करना, चरी काटना, ठीक समय पर दाना देना, पानी पिलाना गोमा का नित्य का कार्य था । इसके अतिरिक्त उसके पास एक गाय भी थी । उसको दुहना, दूध बिलोना आदि कार्य अधिकतर पार्वती ने अपने जिम्मे ले रखे थे । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि घर का प्रत्येक सदस्य अपने-अपने कार्य स्वयं करता था और यह छोटा सा परिवार एक सुखी परिवार का उदाहरण था ।

पार्वती का विवाह

समय बीतते देर नहीं लगती। पार्वती अब सयानी हो गई थी। रामदत्त उसके लिए योग्य वर की तलाश करने लगे। कहावत है 'पहले बना प्रारब्ध पीछे बना शरीर' अर्थात् संयोग तो भगवान ने पहले ही मिलाए होते हैं केवल समय का इंतजार होता है। रामदत्त की पुरानी रिश्तेदारी में ही एक लड़का मिल गया। बस बात करने की देर थी कि शादी पक्की हो गई। पूर्णमासी को विवाह होना निश्चित हो गया।

मुहूर्त के अनुसार बारात आई। गांव वालों ने बारात की खूब आवभगत की। उन्होंने न केवल घर के कामकाज में ही रामदत्त का हाथ बंटाया, बल्कि पार्वती को अपनी ही पुत्री समझ कर सब ने यथाशक्ति कुछ न कुछ भेंट भी दी।

पार्वती की शादी पर आए हुए राम दत्त के रिश्तेदारों ने जब उसका इतना मान और इज्जत देखी तो उन्हीं में से एक सम्पन्न गृहस्थी ने अपनी लड़की का नाता मदन के साथ करने को भी कह दिया ।

रामदत्त ने बहुत आनाकानी की, हाथ जोड़े, अपने को हीन और दीन बताया पर वह अपने हठ पर अड़ा रहा और यह सम्बन्ध भी निश्चित हो गया। पार्वती की शादी के दो वर्ष पश्चात मदन की शादी भी बड़ी धूम धाम के साथ हुई । बहू का नाम लक्ष्मी था । रूप, रंग और सौंदर्य में अद्वितीय थी मानों साक्षात लक्ष्मी बन कर ही रामदत्त के घर में पहुंची । लक्ष्मी यद्यपि शहर की रहने वाली थी और मैट्रिक पास युवती थी, किन्तु वह एक कर्तव्यपरायण नारी भी थी ।

उसने कुछ ही दिनों में घर के सब सदस्यों के स्वभाव को जान लिया और उन सब की दिनचर्या को भी जान मन ही मन में बिठा लिया ।

मदन भी अब शहर में कुछ काम करने लग गया था और उसे प्रायः घर से बाहर रहना पड़ता था । मदन की अनुपस्थिति लक्ष्मी के नारी हृदय में सम्भवतः खटकती हो, पर उसने कभी इस भाव को प्रकट नहीं होने दिया।

पनघट पर

दीनापुर के पुरुषों की चौपाल तो बड़ की छाया में थी परन्तु स्त्रियों की बैठक गांव के कुएं पर जमती थी, जहां वे सुबह शाम जल भरने के लिए इकट्ठी होतीं। यहां जरूर किसी न किसी नई बात की चर्चा होती । कुछ दिनों से लक्ष्मी ही उनकी चर्चा का विषय बनी हुई थी ।

एक दिन एक स्त्री दूसरी से कह रही थी, "अरी चम्पा मुखिया की बहू को देखा । अभी शादी हुए दस दिन तो हुए नहीं और सास-ससुर से ऐसे खुलकर बातें करती है मानों बहू नहीं बेटी हो ।"
"हाँ री, एक शाम मैं भी उनके घर चली गई । मुखिया दालान में बैठा चाय पी रहा था । लक्ष्मी पास के चौके में खुले मुंह बैठी टर-टर बातें कर रही थी ।" चम्पा का उत्तर था ।

पास खड़ी एक वृद्धा इन दोनों की बातें सुन रही थी । बुढ़ियों को तो ऐसा मामला बात करने या बनाने को चाहिए ही । वह कैसे देख सकती हैं कि उनके जीते जी लड़कियां ऐसी आजादी से घूमती फिरें। वह झटपट बोल उठी——"अरी बहुओं। तुम सब भोली हो । आखिर है तो शहर की ही रहने वाली छोकरी । आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों या तरसों, कोई न कोई गुल खिला कर ही रहेगी । भला ऐसे मुंह खुले और टर-टर बातें तो हमारे समय में बेटी बाप से भी नहीं करती थी । अब तो जमाना ही बदल गया है ।"

कुएं के दूसरी ओर युवतियों की एक टोली खड़ी थी । पहले तो वे चुपचाप खड़ी इस नाटक को देखती और सुनती रहीं, पर जब एक ही लाठी से सब को हांका जाने लगा तो भला वे कैसे चुप रह सकती थीं । उनकी एक युवती की खुले शब्दों में निन्दा हो रही थी, तब उनमें से एक बोल उठी और कहने लगी—,"ताई तुम कहती तो शायद ठीक ही हो, पर सब अंगुलियां बराबर नहीं होतीं । इस लिए बिना किसी प्रमाण के ऐसे शब्द मुंह से निकाल कर किसी की बहू-बेटी की निन्दा नहीं करनी चाहिए ।"

"चल री चल । आई कल की छोकरी हमें पढ़ाने ।" बड़े क्रोध में ताई ने मुंह बिचकाकर जवाब दिया और अपने बालों को छूकर कहने लगी —"ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए । शहरों के छोरे-छोरियों को मैं खूब जानती हूं । हां, तुझे गुस्सा तो आना ही था क्योंकि लक्ष्मी जो तुम्हारी सहेली ठहरी।"

शायद बात और बढ़ जाती । यदि दो-चार स्त्रियां ताई को जबर्दस्ती घर की ओर चलने को मजबूर न कर देतीं ।

पूर्णमासी की कथा

हर पूर्णमासी को गांव की सभी स्त्रियां व्रत रखा करती हैं और उसी शाम को उन की कीर्तन मण्डली बैठती है, जिसमें भजन-कीर्तन के बाद एक पंडित जी कथा भी किया करते हैं। इस मास यह सारा कार्यक्रम मुखिया के घर होना निश्चित हुआ क्योंकि जब से मदन की शादी हुई थी गांव की स्त्रियां मुखिया की पत्नी से जलपान के लिए आग्रह कर रही थीं। इसलिए आज का कीर्तन उसी के घर पर होना निश्चित हुआ।

हालांकि कथा-कीर्तन का समय तो शाम चार बजे था परन्तु दो बजे से ही मुखिया के घर आना-जाना शुरू हो गया और चार बजे तक शायद ही गांव की

कोई स्त्री या बच्चा अपने घर रह गया हो। वृद्ध स्त्रियों की मंडली एक ओर बैठी सुन्दर-सुन्दर भक्ति के गीत गा रही थी तो नवविवाहित युवतियां दूसरे कोने में बैठी एक दूसरे से कुछ कानाफसी करती और हंसती सी दीख पड़ती थीं। इसी बीच जब कोई मनचली युवती दूसरी से चुहल करती तो सब मिलकर हंस पड़तीं। गीत और भजनों के बाद पंडित जी ने कथा सुनाई, आरती हुई, प्रसाद बांटा गया और सब अपने-अपने घरों को जाने लगीं। सायंकाल हो चुका था। गांव के घरों में दिए जलने शुरू हो गए थे।

रात्रि को भोजन कर चुकने और रसोई के काम से निपटने के बाद लक्ष्मी अपनी सास की चारपाई पर जा बैठी। नित्य की भांति पांव दबाती हुई कहने लगी—"मां जी ये स्त्रियां भी कुछ काम-धाम करती हैं या यूं ही सारा समय गप्पों में नष्ट कर देती हैं?"

"क्यों नहीं लक्ष्मी रानी। सारा दिन तो वे काम में ही लगी रहती हैं। घर का कामकाज क्या उनके पास थोड़ी होता है," सास ने उत्तर दिया। लक्ष्मी ने फिर पूछा "यह तो ठीक है पर मैं देखती हूं कि दिन में बहुत सा समय तो उनका कुंए से जल लाने में ही बीत जाता है। फिर दोपहर को या तो सोई रहती हैं या कहीं दो चार इकट्ठी बैठी एक दूसरी की बातें करती रहती हैं।"

"तो बेटी वे और करें भी क्या। छोटे बच्चों को पढ़ाने का यहां कोई प्रबन्ध नहीं है। यहां से थोड़ी सी दूर पर जो गांव है, वहां एक सरकारी स्कूल है। वहां लड़के चले जाते हैं।" और लड़कियां? लक्ष्मी ने पूछा। सास ने विस्मय भरी दृष्टि से केवल हंस भर दिया जिसका भाव था कि लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है।

लक्ष्मी चुप हो गई और कुछ क्षणों के लिए उसके हाथ भी रुक गए जो अब तक सास के पांव दबा रहे थे। फिर जब सास ने पूछा कि क्या सोच रही है, तब वह चौंक उठी मानों उनका स्वप्न भंग हो गया हो।

"कुछ नहीं" कह कर लक्ष्मी फिर सास के पांव दबाने लग गई। पर वह विचारों में कुछ इतनी खो सी गई कि उसे ध्यान ही न रहा कि कब वह सास की चारपाई से उठी और कब अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई। उसे जब होश आया तो रात काफी बीत चुकी थी। उसके मस्तिष्क में पुनः वही विचार चक्कर काटने लगे और उसकी नींद ऐसी उचटी कि शेष रात सोच-विचार में ही बीत गई। प्रातः जब वह उठी तो दिन काफी चढ़ चुका था।

लोक सेवा

पूर्णमासी की घटना के दो दिन बाद लक्ष्मी ने निश्चय कर लिया कि अब वह अपना समय लोक सेवा में ही व्यतीत करेगी और गांव की स्त्रियों को, जो अधिकतर अशिक्षित होने के कारण पिछड़ी हुई हैं, जागृति की ओर ले चलेगी। अब सबसे पहले उसने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प किया। इस विषय पर जब उसने अपनी सास से अनुमति मांगी, तो उसने बिना रोक टोक के स्वीकृति दे दी। लक्ष्मी को लगा मानो उसने कोई हारा हुआ दाव जीत लिया हो।

अगले दिन ही उसने पास-पड़ोस के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और पढ़ाने का कार्य अपने घर पर ही शुरू कर दिया। शुरू में कुछ दिन तो उसे काफी कठिनाई पेश आई क्योंकि कुछ पुराने विचारों वाले लोग लड़कियों को इस बीसवीं शताब्दी में भी पढ़ाना रीति रिवाज के विरुद्ध मानते थे। पर थोड़े ही दिनों में वातावरण अनुकूल हो गया और कोई 15 लड़के और लड़कियां उसके पास पढ़ने लगे।

उसी गांव में राधा नाम की एक और लड़की रहती थी। वह पांचवीं कक्षा तक पढ़ी हुई थी। उसका लक्ष्मी से काफी मेलजोल था। उसने भी लक्ष्मी का हाथ बंटाया। दोनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू कर दिया। मुखिया को यह सब बड़ा अच्छा लगा। घर में तो इतना स्थान था नहीं। इसलिए गांव का पंचायत घर, जिसमें दो बड़े-बड़े कमरे और काफी खुला दालान था, पाठशाला के लिए लक्ष्मी को सौंप दिया गया और अब पाठशाला नियमित रूप से वहां लगने लगी।

लक्ष्मी अपनी योजना को और भी विस्तृत रूप देना चाहती थी। उसने गांव की दो चार और युवतियों को अपने साथ मिलाया।

इन की सहायता से लक्ष्मी और राधा ने छोटे बच्चों के साथ-साथ प्रौढ़ स्त्रियों को भी पढ़ाना आरम्भ कर दिया। पहले तो प्रौढ़ाओं ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई क्योंकि अधिकतर गांव की स्त्रियों में यही भावना रहती है कि पढ़ाई केवल नौकरी के लिए ही आवश्यक है या सम्बन्धियों के साथ पत्र-व्यवहार करने के लिए, पर हम गांव की स्त्रियों को न तो कहीं नौकरी-चाकरी करनी है और न ही किसी को पत्र आदि लिखने की ही कभी आवश्यकता पड़ी है। इसलिए पढ़ाई में व्यर्थ समय क्यों खोएं।

परन्तु लक्ष्मी ने एक-एक घर जाकर पढ़ने-लिखने की आवश्यकता का लाभ बताकर उन्हें सहमत किया। तब कहीं उन स्त्रियों ने पढ़ना स्वीकार किया। लक्ष्मी निराश नहीं हुई बल्कि अपना कार्य करती ही रही। प्रातः सात बजे बच्चों की पाठशाला आरम्भ होती जो 11-12 बजे तक रहती। दो बजे से चार बजे तक बड़ी स्त्रियों के पढ़ने-पढ़ाने का कार्यक्रम रहता। इस प्रकार लक्ष्मी को प्रातः सात से सायंकाल पांच बजे तक शिक्षण कार्य करना पड़ता।

लोगों के बहकाने से एक बार तो मुखिया रामदत्त भी रुष्ट हो गया और अपनी पत्नी सोमा से शिकायत करने लगा कि मदन की शादी का उन्हें क्या लाभ हुआ है जो लक्ष्मी न तो खेत में काम करे और न ही घर के कार्य में कोई सहायता दे। भला यह कहां की बात ठहरी कि सारा-सारा दिन छोकरे-छोकरियों को पढ़ाती फिरे और वह भी मुफ्त।

पर सोमा बड़ी समझदार थी, उसने झट परिस्थिति को संभाल लिया। बड़े शान्त स्वभाव से बोली, चौधरी जी आखिर इसमें खराबी ही क्या है। वह भी तो भला काम ही कर रही है।

(शेष पृष्ठ 25 पर)

किशोर भारती और उसके संचालक डा० अनिल सदगोपाल

अमिताभ शुक्ल

सन 1980 का एक लाख रुपये का जमनालाल बजाज पुरस्कार ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा रचनात्मक कार्यों के लिए मध्यप्रदेश के वनखेड़ी गांव में कार्यरत समाजसेवी एवं शिक्षाविद डा० अनिल सदगोपाल को दिया गया है ।

कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से जीव रसायन में रिसर्च करने के पश्चात देश की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था 'टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च' में डा० सदगोपाल कार्यरत रहे । जब शिक्षा की व्यावहारिक पद्धति खोजने का कार्यक्रम सामने आया तब उस दिशा में काम करने वालों में डा० सदगोपाल सबसे आगे थे । शिक्षा की व्यावहारिक पद्धति विकसित करने के लिए वह गांव में आकर बसे । पिछले 8 वर्षों से डा० अनिल सदगोपाल मध्यप्रदेश के एक गांव वनखेड़ी में एक स्वैच्छिक एवं समाजसेवी संस्था "किशोर भारती" के संचालक के रूप में रचनात्मक कार्य कर रहे हैं । किशोर भारती व एक अन्य स्वैच्छिक संस्था "फ्रेंड्स रूरल सेन्टर" के परिश्रम तथा खोज का ही परिणाम है कि आज मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले की माध्यमिक शालाओं में परम्परागत विज्ञान पाठ्यक्रम के स्थान पर नवीन पाठ्यक्रम--पर्यावरण पर आधारित विज्ञान शिक्षण चल रहा है । जमनालाल बजाज पुरस्कार की घोषणा के पश्चात इन कार्यों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ । डा० अनिल सदगोपाल से एक बातचीत के अवसर पर उनके ग्रामीण विकास के अनुभव जानने चाहे तब उन्होंने अपने कार्यों की जानकारी विस्तार से दी ।

मेरा प्रश्न था कि गांव में काम करने की शुरुआत किस प्रकार हुई? डा० अनिल सदगोपाल ने बताया कि हमने अपना काम सन 1972 से शुरू किया । गांव में आते ही हमने देखा कि अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित हैं और केवल संपन्न घरों के बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं जबकि बजट का बहुत बड़ा भाग शिक्षा पर व्यय होता है । हमने शिक्षा की नई प्रणाली की खोज का काम प्रारम्भ किया । तब हमारे सामने प्रश्न आया कि शिक्षा का स्वरूप क्या हो? विचार-विमर्श के पश्चात यह तय हुआ कि शिक्षा ऐसी हो जो गांव के वातावरण के अनुरूप हो तथा आर्थिक गतिविधियों से जुड़े । हमने यह सवाल भी उठाया कि क्या यह जरूरी है कि विज्ञान तथा गणित किताबों से ही सीखा जाए ? हमने इसके विपरीत दैनिक जीवन की गतिविधियों पर विज्ञान एवं गणित की शिक्षा को आधारित कर कार्य प्रारम्भ किया । एक एकड़ भूमि में फसल बोने का गणित क्या हो ? इससे शिक्षा शुरू की गई । एक एकड़ में फसल बोने के लिए कितनी मात्रा में खाद, बीज की जरूरत होगी यह अनुमान बच्चों ने ही लगाया । रकबा नापने के लिए बांस की खपच्चियों का डिवाइडर तैयार किया गया । लेकिन समस्या गिनती की आई । चौथी-पांचवीं के बच्चे सौ से अधिक की गिनती जानते ही नहीं थे, अतः 100 के बाद उन्होंने पूछा--अब? और इस प्रकार उन्हें खेल-खेल में ही आगे की गिनती सिखाई गई ।

मूंगफली की फसल होने के बाद उसे बेचने की बात सामने आई । बच्चों ने ही पूछा--इन्हें कब बेचें ? जवाब उनका ही था--जब उसके दाम अधिक मिलें । दाम अधिक कब मिलेंगे ? इसके लिए बच्चों ने हर शुक्रवार को बाजार जाकर मूंगफली के दाम पता लगाए । इसके लिए बच्चों ने ग्राफ बनाया । सर्वे करना भी उन्होंने सीखा । औसत निकालने का तरीका भी सीखा । यह सब उन्हें सिखाया नहीं गया, जैसे-जैसे जीवन की व्यावहारिक समस्याएं आती गईं, वे स्वतः खेल-खेल में यह सीखते गए । घर का, खेतों का काम भी करते थे, पढ़ाई भी होती रही । इस प्रकार ग्राम जीवन की जरूरतों से उन्होंने गणित सीखा । गणित के अतिरिक्त बच्चों को व्यापार, सामाजिक जीवन, आयात-निर्यात नीति का भी ज्ञान हुआ । अनौपचारिक शिक्षा से यह लाभ सामने आए ।

सिंचाई का सस्ता साधन

इसके बाद सिंचाई के सस्ते साधन की खोज की गई । सिंचाई के साधन के रूप में रिंग के कुओं का विकास किया गया । इसकी तकनीक भी सस्ती

है और खर्चा भी कम। और एक फसल की बजाय दो फसल प्राप्त होने लगीं। सिंचाई के साधन के रूप में रिंग के कुएं अपनाने, दो फसल होने और संपन्नता आने से कई अनुभव सामने आए। जब रिंग के कुएं शुरू किए गए तब गांव वालों ने कहा— आप हमें पानी बेचिए। तब पहली बार मालूम हुआ कि पानी बिकता भी है। बिजली आदि के खर्चे का अनुमान लगाकर दो-ढाई रुपये प्रति घंटे के हिसाब से गांव वालों को पानी देना शुरू किया। तब गांव के उन बड़े किसानों ने, जो अपने पम्प सेट से 6 रुपये प्रति घंटा की दर से पानी देते थे, बड़ा हल्ला मचाया। सिंचाई के सस्ते साधन के सुलभ होने से दो फसल होने लगीं और 80 गांवों में साढ़े बारह लाख रुपये प्रतिवर्ष उत्पादन बढ़ा। पर सर्वेक्षण करने पर मालूम हुआ कि इसमें से केवल तीन लाख रुपये ही पन्द्रह हजार खेतिहर मजदूरों को प्राप्त हुए। शेष लाभ 300 किसानों को प्राप्त हुआ। वही किसान जो पहले गरीब थे, संपन्न होने पर गरीबों से दूर हो गए। वितरण समान नहीं होने से विषमता बढ़ी, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ी। यह कैसा विकास हुआ? हम विकास करने में जरूर सफल रहे, पर एक समान विकास और वितरण में असफल रहे — डा० मदगोपाल का कहना था।

नस्ल सुधार और सस्ते चरागाह

गायों की नस्ल सुधारने का काम जब प्रारम्भ किया गया तब गांव के लोगों को इससे लाभ हुआ। पर सर्वे करने से मालूम हुआ कि इस योजना का अधिकांश लाभ संपन्न लोगों ने ही उठाया। सन 1975-76 में बिना सिंचाई और खाद के चारे की खोज शुरू की गई। केवल बारिश के पानी पर आधारित यह चारा 10 महीने प्राप्त होता है। इसमें हमें सफलता मिली और सूखे के समय में भी चरागाह हरा-भरा रहा, जिसमें गांव के मवेशी चरते रहे।

कुटीर उद्योगों द्वारा रोजगार

1975-76 में ही कुटीर उद्योगों के माध्यम से भूमिहीन परिवारों के लिए रोजगार प्राप्त करने की दिशा में 'किशोर

[शेष पृष्ठ 30 पर]

दस्तकारियों के जरिये रोजगार

हस्तशिल्प क्षेत्र के अन्तर्गत दस्तकारियां यानी हाथ से बनाई गई वस्तुएं आती हैं। इसमें बहुत सी वस्तुओं जैसे गलीचे, रत्न और आभूषण, हाथ से छपे कपड़े, धातु वस्तुओं, बेंत और बांस से बनी वस्तुओं, लकड़ी पर नक्काशी करके बनाई गई वस्तुओं और खिलौने एवं गुड़ियों का निर्माण होता है। हस्तशिल्प क्षेत्र ने 1978-79 में रत्न और आभूषणों को मिलाकर 979.66 करोड़ रुपये का निर्यात किया। 1979-80 में 814.79 करोड़ रुपये की दस्तकारियों के निर्यात का अनुमान है।

दस्तकारियों के विकास और उन्नति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य मंत्रालय में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की स्थापना की गई है तथा राज्य स्तर पर राज्य सरकारें एवं केन्द्र शासित प्रदेश विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का गठन एवं कार्यान्वयन कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य कारीगरों को प्रशिक्षण देना, नए-नए नमूने तैयार करना, विपणन की व्यवस्था करना, प्रदर्शनी आयोजित करना, प्रचार करना और निर्यात को बढ़ाना है। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के अतिरिक्त तीन केन्द्रीय निगम भी हैं जो हस्तशिल्पों के विपणन की देखभाल करते हैं। ये हैं—हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम, केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम और उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम। इसके अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में विभिन्न निगम भी विपणन का कार्य करते हैं।

बोर्ड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रशिक्षण के क्षेत्र में रही है। बोर्ड विभिन्न मिलों के उत्पादन आधार को बढ़ाने के लिए उच्च प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू कर चुका है। कार्यक्रम के अन्तर्गत गलीचे, कलाधातु वस्तुएं और हाथ से छपे कपड़े बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण दिया जाता है और बेंत एवं बांस की वस्तुएं बनाने के लिए भी उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है।

बोर्ड ने 1976-77 में गलीचों की बुनाई के प्रशिक्षण के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया था। इसके अन्तर्गत 60,000 लड़के-लड़कियां प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त कलाधातु-वस्तुओं के निर्माण के लिए 30 से अधिक और बेंत एवं बांस की वस्तुओं के निर्माण के प्रशिक्षण के लिए 35 प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है। वस्त्रों पर हाथ से छपाई करने के प्रशिक्षण के लिए 50 से अधिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का कार्य शुरू हो चुका है।

बोर्ड ने कारीगरों की सहायता के उद्देश्य से बिक्री एवं सेवा केन्द्रों की स्थापना की है। खंड स्तर पर ग्रामीण कारीगरों की सहायता के लिए 222 ग्रामीण विपणन एवं सेवा केन्द्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। ये केन्द्र कारीगरों को कच्चे माल की खरीद, तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए बाजार की खोज और वित्तीय संस्थानों से उन्हें ऋण दिलवाने में सहायता करेंगे। बोर्ड ने 12 राज्य निगमों/सहकारी समितियों को 1.75 करोड़ रुपये दिए हैं ताकि वे कारीगरों का सुविधा के लिए सीधे वस्तुएं खरीद कर उनकी सहायता करें।

बोर्ड ने कलकत्ता, बम्बई, बंगलौर और दिल्ली में डिजाइन और तकनीकी विकास केन्द्रों की स्थापना की है। इसके अलावा अगरतला में बेंत और बांस के विकास के लिए एक संस्थान, मुरादाबाद में एक कलाधातु वस्तु केन्द्र, मद्रास में संगीत उपकरणों के लिए एक केन्द्र और कुल्लू एवं गोहाटी में आदिवासी शिल्पों के विकास हेतु दो केन्द्रों की स्थापना की गई है। हाथ से छपे कपड़ों और गलीचों के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की शुरुआत भी हो चकी है। बोर्ड ने प्रदर्शनी और प्रचार, निर्यात की उन्नति, तकनीकी विकास और ऋण उपलब्धि आदि के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। □

केन्द्र के समाचार

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत

केन्द्र सरकार ने निश्चय किया है कि ऊर्जा संबंधी नीति के बारे में सलाह देने के लिए तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज के बारे में एक ऊर्जा आयोग गठित किया जाएगा। यह आयोग वैकल्पिक ऊर्जा के संबंध में कार्यक्रम तैयार करेगा। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने वाराणसी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 68वें अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए यह आग्रह किया कि प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों और उपयोग करने वाले मंत्रालयों के बीच और बेहतर तथा सुदृढ़ सम्पर्क होना चाहिए। तेजी से फैसले लेने के लिए सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को फिर से सक्रिय करेगी। मंत्रिमंडल के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार समिति नियुक्त की जा रही है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में निश्चित कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे और उन्हें निश्चित प्राथमिकता दी जाएगी ताकि विकास कार्यक्रमों में वैज्ञानिक जानकारी का अधिक उपयोग किया जा सके।

श्रीमती गांधी ने कहा कि मैंने निर्णय लेने की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों का अधिक सहयोग लेने का भी प्रयास किया है। विज्ञान को सामाजिक परिवर्तन का नया साधन माना जाना चाहिए और समस्याओं को देखने का नया तरीका भी। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकीविदों और अर्थशास्त्रियों के बीच अधिक सम्पर्क होना चाहिए।

ऊर्जा संबंधी समस्याओं का जिक्र करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा कि प्रौद्योगिकी के विकास में यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। आगे चलकर दीर्घकाल में पनबिजली, सौर ऊर्जा और बायो ऊर्जा भारत के लिए ऊर्जा के प्रमुख साधन बनेंगे। हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। परन्तु तात्कालिक उपाय के रूप में हमारे लोगों को ऊर्जा के इस्तेमाल, देशी और आयातित पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल में, कोयले तक के उपयोग में किफायत बरतनी चाहिए।

प्रदूषण की समस्या के बारे में वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कारखाने, पानी और वातावरण को दूषित करते हैं। इसके लिए सरकार ने पारिस्थितिकी विभाग बनाने का निश्चय किया है और राज्य सरकारों से भी ऐसा करने को कहा गया है।

बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए समुचित उपाय खोजे जाने चाहिएं। देहाती इलाकों के उद्यमी लोगों को संगठित करने के लिए शिक्षित लोगों के दलों को भेजा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में गोबर गैस संयंत्र लगाने में सहायता देने का निर्णय किया है।

गांवों में सड़कों का जाल

पांचवीं योजना अवधि के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में ग्रामीण सड़कों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया था और यह उद्देश्य रखा गया था कि प्रत्येक ऐसे गांव को, जिसकी जनसंख्या 1 हजार या इससे अधिक है, पक्की सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। पूरे देश में सड़क निर्माण का कार्य एक समान ही हुआ। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के अधिकांश गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा चुका है। अन्य राज्यों में भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

कुल 5.76 लाख गांवों में से केवल 29 प्रतिशत गांवों में पक्की सड़कें तथा 16 प्रतिशत गांवों में कच्ची सड़कें हैं। फिलहाल 3.14 लाख गांवों को सड़कों से तथा 4 लाख गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना शेष है, जिनमें से 84 प्रतिशत गांवों की जनसंख्या एक हजार से कम है।

सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और आर्थिक उत्थान के संदर्भ में ग्रामीण विकास एक उभरती हुई आवश्यकता का विषय है। गांवों में बनाई गई सड़कें समग्र ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पक्की सड़कों के अभाव में गांवों में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री तथा खाद और बीज की सप्लाई में तो विभिन्न कठिनाइयां आती ही हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, चिकित्सा और डाक जैसी सामाजिक सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हो पातीं। भूमि संसाधनों के उत्पादन स्तर को बढ़ाने वाली नई प्रौद्योगिकी सड़कों के माध्यम से ही गांवों तक पहुंचती है। सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए अगले दो दशकों में 11,000 करोड़ रु० की आवश्यकता होगी।

ग्रामीण सड़कों पर विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं। कुछ राज्यों में मैटाडोर, छोटी बसें तथा टैम्पो जैसे छोटे वाहन भी चलने लगे हैं। दूसरे राज्यों के गांवों में बड़ी बसें तथा ट्रक भी चलने लगे हैं हालांकि उनकी संख्या कम है। पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका भी जारी है। परिवहन की यह व्यवस्था भविष्य में ऊर्जा स्थिति में सुधार लाने की आवश्यकता की ओर हमारा ध्यान खींचती

है। पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों में सुधार लाने के लिए नए रास्ते और उपाय खोजे गये हैं और गाड़ी बनाने वाले इनमें से कुछ तरीके पहले से ही अपना चुके हैं।

कृषि की दृष्टि से उन्नत क्षेत्रों में ट्रैक्टरों का प्रयोग बढ़ा है क्योंकि बैल-गाड़ियों की तरह ट्रैक्टर भी ऊबड़-खाबड़ रास्ते से खेतों में आ-जा सकते हैं। इस प्रकार भिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में सड़क यातायात की पद्धति का अध्ययन और प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार करना आवश्यक हो गया है।

राष्ट्रीय यातायात नीति समिति द्वारा ग्रामीण सड़कों के विषय में गठित एक संगठन ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि निकट भविष्य में देश के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ना संभव नहीं है। संगठन ने स्वीकार किया है कि हमारा उद्देश्य यह रहेगा कि इस शताब्दी के अंत तक कोई भी गांव सड़क से 1.6 किलोमीटर दूर नहीं रहे।

सड़क निर्माण में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अतः गांवों में सड़क निर्माण के कार्य से सामान्य मजदूरों को रोजगार मिलेगा।

सूरजमुखी का फसल

सूरजमुखी तिलहन की एक महत्वपूर्ण फसल है जिससे बढ़िया किस्म का तेल मिल सकता है। सिंचाई वाले इलाकों में इसकी फसल से प्रति हेक्टेयर 10 से 12 क्विंटल और बारानी इलाकों में 4.6 क्विंटल पैदावार मिलती है।

सूरजमुखी की फसल किसी भी मौसम में और सब प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है। यह 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। इसे ऐसी जमीन में न उगाएं जहां जल निकास की व्यवस्था न हो और क्षारीय जमीन हो।

सूरजमुखी की खेती विभिन्न प्रकार की जलवायु में की जा सकती है। लेकिन मध्य भारत, दक्षिणी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान के कुछ इलाके तथा कुछ हद तक पश्चिमी बंगाल में इसकी खेती अच्छी होती है।

खेत की दो या तीन बार जुताई करके मिट्टी को खूब भुरभुरा कर लें। बीजों में पूरी तरह अंकुर फूटने के लिए भुरभुरी मिट्टी की जरूरत होती है।

एक एकड़ के लिए 5 किलो बीज की जरूरत होती है। ऐसी भूमि जिसमें बीजों के अंकुरण में थोड़ी परेशानी होती हो वहां बीज की ज्यादा मात्रा इस्तेमाल करें तथा जरूरत होने पर पौधों को छिदरा कर दें। एक किलो बीज में दो से तीन ग्राम फफूंदनाशक दवा अवश्य मिला दें।

अच्छी पैदावार लेने के लिए बीज को बोने से पहले 24 से 36 घंटे तक पानी में डुबोये रखें। बीज 5 से 7 सेन्टीमीटर से ज्यादा गहरा न बोएं।

खेत तैयार करते समय 18 से 20 गाड़ी कूड़े-करकट की कम्पोस्ट खाद खेत में डालें। सूरजमुखी को अधिक खुराक की आवश्यकता होती है। सिंचाई वाली फसल में प्रति हेक्टेयर 40 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश डालें। नाइट्रोजन की अपेक्षा फास्फेट की ज्यादा मात्रा डालने की सिफारिश की गई है। बोआई के 9 से 10 दिन बाद फसल की निराई-गोड़ाई कर दें। पौधों में 4 से 6 पत्तियां आने पर दोबारा निराई-गोड़ाई करें। बारानी इलाकों में फसल की बढ़वार के तीसरे हफ्ते में कतारों के बीच में हल चलाना फायदेमंद रहता है। वर्षा होने पर हल चलाने से खरपतवार नष्ट होने के साथ-साथ जमीन में नमी बनी रहती है। पहली सिंचाई, बोआई के बाद तुरन्त करें। इसके बाद हर 9 से 10 दिन बाद सिंचाई करें। बोआई, फसल फूलने तथा फूलों में दाना पड़ने की अवस्था में सिंचाई करना बहुत जरूरी है।

सब्जी उत्पादन योजना

कोटा में आज यहां की आबादी की आवश्यकता से तीन गुनी अधिक सब्जी का उत्पादन हो रहा है। सब्जी उत्पादन में इस उल्लेखनीय प्रगति का अधिकांश श्रेय 'सब्जी विस्तार योजना' को जाता है। यह योजना जनवरी, 1977 से लागू की गई थी। कोटा में इस योजना का क्रियान्वयन कृषि विभाग के सह निदेशक के मातहत एक सहायक पौध संरक्षण अधिकारी, दो सहायक कृषि अधिकारी तथा 13 सुपरवाइजर कर रहे हैं। सब्जी उत्पादन की योजना के अंतर्गत किसानों को परम्परागत सब्जी की खेती से हटाकर नई किस्म के बीजों के इस्तेमाल, कीटनाशकों के समुचित प्रयोग की जानकारी और अन्य तकनीकी सहायता सुलभ कराई गई है। कोटा जिले की लाडपुरा तहसील की 10 और अंता की 3 पंचायतों के क्रमशः 49 और 15 गांवों में इस योजना पर अमल हो रहा है। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय भी इसमें पूरी रुचि ले रहा है।

सब्जी विस्तार योजना के अन्तर्गत 1980-81 में कोटा में लगभग 3,000 हेक्टेयर जमीन में सब्जी बोई गई है। योजना के लागू होने के बाद से सब्जी उत्पादन के प्रति किसानों की बढ़ती रुचि का पता इसी बात से चलता है कि जिले में 1977-78 में केवल 1824 हेक्टेयर और 1978-79 में 2532 हेक्टेयर में सब्जी की खेती हुई थी। इसी प्रकार उर्वरकों और पौध संरक्षण के अतर्गत भी कार्य में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।

कृषि विभाग ने किसानों के प्रशिक्षण के लिए अपने प्रदर्शन खेत भी बना रखे हैं। 1977 में 163 ऐसे प्लाटों में सब्जी लगाई गई थी, लेकिन इस वर्ष 200 खेतों में प्रदर्शन के तौर पर विभाग द्वारा सब्जी की बुआई कराई गई है।

कोटा में सब्जी उत्पादन की इस नई योजना को जो अभूतपूर्व सफलता मिली है उससे इस योजना के राजस्थान के और जिलों में भी लागू किए जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

नया बायो गैस संयंत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उदयपुर में एक बायो-गैस संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है, जो उदयपुर की झील में पाई जाने वाली 'जल कुम्भी' वाटर हाइसिन्थ पर आधारित होगा। इससे घरों में खाना

पकाने के लिए मीथेन गैस का उत्पादन होगा और बाकी जो बचेगा उसमें उर्वरक के रूप में उच्च मात्रा में नाइट्रोजन होगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के गैस-कन्वर्टर में सुखाई गई कुम्भी के अलावा भेड़ों की मींगने भी इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है। खरपतवार इस्तेमाल करने वाला एक गैस संयंत्र नागार्जुनसागर में पहले से कार्य कर रहा है।

नए बायो गैस कन्वर्टरों का प्रयोग, ग्रामीण ऊर्जा प्रणालियों के विकेन्द्रीकरण के लिए किया जा रहा है और इनका निर्माण इस ढंग से किया जा रहा है, ताकि इनमें कूड़े-कचरे, झड़े हुए पत्ते, खरपतवार, जल-कुम्भी आदि सभी प्रकार के जैविक पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सके।

ऐसे 20 कन्वर्टरों के मार्च 1981 तक तैयार हो जाने का अनुमान है। इनमें से तीन उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में, दो महाराष्ट्र में, एक राजस्थान में तथा बाकी अन्य क्षेत्रों में लगाए जाएंगे।

रबड़ बागानों को वित्तीय सुविधाएं

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम रबड़ बागानों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता उन योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जाती है जो सघन क्षेत्रों में कार्यान्वित हो रही हैं।

राष्ट्रीय कृषि आयोग ने यह अनुमान लगाया है कि सन् 2000 तक लगभग 7.5 लाख टन रबड़ की आवश्यकता पड़ेगी। छठी योजना के दौरान बागान से संबंधित कार्यकारी दल ने, जिसकी योजना आयोग ने नियुक्ति की थी, यह सिफारिश की है कि कम से कम 6000 हेक्टेयर में हर साल रबड़ के पेड़ लगाए जाएं तथा 5000 हेक्टेयर में इन पौधों को दोबारा लगाया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यकारी दल ने रबड़ उत्पादकों को पूंजी तथा आसान शर्तों पर ऋण दिए जाने की सिफारिश की है। रबड़ बोर्ड ने छोटे रबड़ उत्पादकों को, जिनके पास 22-23 हेक्टेयर के बागान हैं, सहायता देने की योजना बनाई है। जिन उत्पादकों के पास 20 हेक्टेयर तक के बागान हैं उन्हें 300 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता दी जा सकती है तथा 3 प्रतिशत तक ब्याज में रियायत दी जा सकती है।

रबड़ का बागान क्षेत्र 1978–79 में लगभग 2.36 लाख हेक्टेयर था। ये बागान मुख्यतः केरल तथा कुछ तमिलनाडु, कर्नाटक, गोआ, त्रिपुरा और अंडमान-निकोबार में हैं।□

[पृष्ठ 20 का शेष]

विद्यादान से बढ़कर तो कोई बड़ा दान नहीं और फिर हमारे घर का कौन सा कार्य उसके बिना रुका पड़ा है। बाकी रही पैसे की बात। सो ईश्वर का दिया हुआ तो हमारे पास बहुत है। जरा सोचो तो जब हम यहां आए थे तो हमारी क्या दशा थी और अब ....। कहते कहते वह रुक गई।

रामदत्त समझ गया कि उसका तीर निशाने पर नहीं लगा। झट बात बदल कर बोला, "नहीं, मेरा अभिप्राय यह नहीं था। मैं तो यह सोचता हूं कि बहू को काम तो बहुत करना पड़ता है उसकी देखभाल और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा करो। उसे ठीक समय पर भोजन और दूध आदि मिल जाना चाहिए"।

सास-ससुर के बीच हुई इस बातचीत का कई दिन तक तो लक्ष्मी को पता ही न लगा और पता लगता भी नहीं अगर एक दिन हंसी-हंसी में गोमा स्वयं ही लक्ष्मी को न बताती। अब वह और भी सावधान हो गई और अपने कार्य क्षेत्र को और भी अधिक विस्तृत करने के लिए नई योजनाएं सोचने लगी।□ (क्रमशः)

[पृष्ठ 7 का शेष]

सरकार द्वारा अपनी ओर से विनियोग करके ऐसी सम्पदा निर्मित की जा सकती है। इन कार्यों में उनकी स्वयं की सिंचाई सुविधाओं का विकास, निजी आवास का निर्माण आदि कार्य हो सकते हैं। सहरिया इलाके में पानी है, परन्तु उसका लाभ उन्हें नही मिलता। यदि उनके खेतों में एक फसल की बजाय दो फसल का उत्पादन होने लगे तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। सिंचाई सुविधा सुलभ कराकर यह सम्भव है। सहरिया जैसे इलाकों के विकास के लिए उन अंचलों में समर्पित भाव से काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों और स्वयं सेवी संस्थाओं के लोगों को भेजा जाना चाहिए।

कोटा जिले में बंधक मजदूरों का काम करने वाले सहरिया आदिवासी इस जिले के शाहाबाद–किशनगंज तहसील के 2,858 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा है। इस आदिवासी इलाके की लम्बाई 150 किलोमीटर है। इस इलाके में सहरिया आदिवासियों की जनसंख्या कुल आबादी का 31.72 प्रतिशत है। गरीबी और अक्सर पड़ने वाले सूखे के अलावा सामन्ती प्रथाएं भी बंधुआ मजदूरों के लिए जिम्मेदार हैं। 1976 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत जब बंधुआ मजदूरों की मुक्ति का अभियान छिड़ा तो पुनः इस ओर लोगों का ध्यान गया, लेकिन सरकार के तमाम नेक इरादों के बावजूद उसकी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए समुचित मशीनरी और समर्पित कार्यकर्ताओं के न होने तथा निहित स्वार्थ वालों के कारण इस दिशा में सफलता अभी तक मृग-मरीचिका ही बनी हुई है।□

नई राह के पथिक

डा. योगेन्द्र नाथ शर्मा 'अरुण'

कह दिया ना, मैं अभी अपने बेटे को स्कूल नहीं भेजूंगी, नहीं भेजूंगी। अभी उमर ही क्या है उसकी—रामो दालान में आकर जोर-जोर से बोल रही थी और उसका सात साल का बेटा नन्दू उसकी धोती पकड़े खड़ा था।

"कहे देता हूं कि बाद में पछताएगी रामो। मेरी बात मान ले, मैं इसे स्कूल में भर्ती करा आता हूं। कुछ पढ़-लिख लेगा तो आगे चलकर काम आएगा।" नन्दू का पिता राम लाल बार-बार अपनी पत्नी को समझा रहा था।

"लाख बार कहोगे तो भी मैं नहीं भेजूंगी, नहीं भेजूंगी। ले देकर इन चार छोकरियों के बाद तो मेरा एक लड़का है और उसे मैं भेज दूं उस कसाई मास्टर के स्कूल में। मार-मार के मेरे बेटे का दम निकाल देगा। तुम जाके अपना धंधा देखो। नन्दू की फिकर छोड़ दो।" यह कहती हुई रामो अपने बेटे को लेकर घर के भीतर चली गई।

राम लाल खड़ा सोचता रहा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कैसे रामो को समझाए कि नन्दू को स्कूल भेजकर उसकी जिन्दगी बन जाएगी। बेबस सा राम लाल कुछ देर खड़ा रहा और फिर उदास मन से बाहर चल दिया।

रामो का स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा हो गया था और वह हर बात पर अड़ जाती थी। राम लाल को याद है, जब अपनी पत्नी की इसी जिद के कारण उसे अपने भाइयों से बटवारा करके अलग होना पड़ा था।

राम लाल बाहर आ गया तो सामने से उसका बड़ा भाई श्याम लाल हल-बैल लेकर खेत पर जा रहा था। उसकी निगाह जब राम लाल पर पड़ी तो बोल पड़ा—"क्या बात है राम लाल, आज खेत पर नहीं गया क्या?"

बड़े भाई की आवाज सुनकर एक बार तो राम लाल चौंक पड़ा, फिर राम-राम करके बोला—"नहीं जा पाया बड़े भैया। कुछ तबियत ठीक नहीं है।" राम लाल भाई से असली बात छुपा गया। श्याम लाल ममता भरे स्वर में कहने लगा "क्या हुआ, बुखार आ गया है? बच्चे को भेज कर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया तूने? कुछ दवा ली है कि नहीं?" और हल-बैल छोड़कर श्याम लाल छोटे भाई के पास चला आया।

राम लाल का मन अपने बड़े भाई के प्रति सम्मान से भर उठा और उसकी आंखों में जल छलक आया। श्याम लाल ने जब यह सब देखा तो व्याकुल होकर बोला—"क्या बात है तुम्हारी आंखों में आंसू किस लिए? क्या घर में कोई बात हुई है?" और इतना कहते-कहते श्याम लाल ने उसका हाथ थाम लिया।

राम लाल बड़े भाई का इतना प्यार देखकर असली बात छिपा नहीं सका। जब उसने बताया कि रामो बेटे को स्कूल में पढ़ने के लिए न भेजने की जिद पर अड़ी हुई है, तो अचरज के भाव से श्याम लाल बोला—"यह रामो को हो क्या गया है? लड़के को स्कूल भला क्यों नहीं भेजना चाहती? तुमने पूछा तो होता!"

"बहुत पूछा बड़े भैया। बस एक ही रट लगाए हुए है कि स्कूल तो कसाईखाना है, वहां बच्चों को मास्टर जी मारते-पीटते हैं, इसलिए अपने नन्दू को स्कूल नहीं भेजना है।" राम लाल ने दुखी होकर बड़े भाई को असली बात बताई।

"यह तो अच्छी बात नहीं है, राम लाल। रामो की इस जिद से तो नन्दू का सारा जीवन ही खराब हो जाएगा। तुमने उसे समझाया क्यों नहीं? स्कूल क्या कसाईखाना होता है?" श्याम लाल ने कहा।

राम लाल कुछ बोलने को ही था कि गांव के स्कूल के हेडमास्टर साहब स्कूल की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ गए। दोनों भाइयों ने मास्टर जी को नमस्ते की तो मास्टर जी ने कहा—"बधाई हो श्याम लाल जी। आपके बेटे को वजीफे के इम्तहान में पास घोषित कर दिया गया है और सरकार ने गांव में ही एक हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति भी दे दी है। अब आपका बेटा छठी कक्षा में यहीं पढ़ सकेगा।"

"धन्यवाद मास्टर साहब। यह सब आपकी मेहनत और गांव वालों पर आपकी कृपा का ही फल है।" श्याम लाल ने खुश होकर कहा।

मास्टर जी ने राम लाल की ओर देख कर पूछा—"क्यों भाई राम लाल, आपने अपने बेटे को दाखिल नहीं कराया? देर

मत कीजिए, उसे आज ही दाखिल करा दीजिए ।"

राम लाल चुपचाप खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला । मास्टर जी ने श्याम लाल की तरफ देख कर पूछा—"क्या बात है श्याम लाल जी ?"

"कुछ भी नहीं, मास्टर जी ।"

"अरे भाई, बताइए न । मैं कोई गैर थोड़े ही हूं ।"

मास्टर जी के अपनेपन को देखकर श्याम लाल ने छोटे भाई की तरफ प्रश्न सूचक निगाह डाली और कहने लगा—"बात यह है कि मास्टर जी कि राम लाल अपने बेटे नन्दू को आज स्कूल में दाखिल कराने के लिए ला रहा था लेकिन⋯⋯" राम लाल की तरफ देखकर श्याम लाल कुछ झिझका ।

"लेकिन क्या ? श्याम लाल जी," मास्टर जी बोले ।

"जी बात यह है कि राम लाल की घरवाली जिद पर अड़ गई कि लड़के को स्कूल नहीं भेजना है ।"

"अरे इसका कारण क्या है ? कुछ मैं भी तो सुनूं ?" मास्टर जी ने पूछा ।

संकोच के साथ श्याम लाल ने बताया—"बात यह है कि मास्टर जी कि नन्दू की मां यह समझती है कि स्कूल कसाईखाना होता है, जहां बच्चों को बुरी तरह मारा पीटा जाता है । बस इसी डर से वह नन्दू को स्कूल नहीं भेज रही है।"

मास्टर जी पहले तो जोर से हंसे, लेकिन फिर गंभीर होकर बोले—"यह तो बहुत बुरी बात है । इस प्रकार के बेकार के डर से वह अपने बच्चे का जीवन खराब कर रही है । चलिए, मैं आपके साथ चलकर उसे समझाता हूं ।"

हेडमास्टर साहब श्याम लाल और राम लाल के साथ चल दिए । राम लाल ने घर के बाहर आकर नन्दू को आवाज लगाई और कहा कि मास्टर जी और बड़े भैया आए हैं । फिर तुरन्त ड्योढ़ी में दो खाटें लाकर डाल दीं । तभी नन्दू आया और बोला—"बापू मां तो बर्तन मांज रही है । पूछ रही है, क्या काम है ?"

मास्टर जी ने कहा—"जाओ बेटे । अपनी मां से जाकर कहो कि मास्टर जी और तुम्हारे ताऊ जी आए हैं । पहले आकर हमारी बात सुन लें, बाद में काम कर लें ।"

नन्दू भीतर भाग गया तो राम लाल की मैली-कुचैली लड़की रधिया पास आकर खड़ी हो गई । मास्टर जी ने पूछा—"क्यो बेटी । तुम नहाती नहीं हो क्या ?" राम लाल की लड़की शर्माती हुई बोली—"मां कहती है, नहाने से सर्दी लग जाएगी । गरम पानी करके नहलाती है ।"

मास्टर जी ने राम लाल की तरफ देखा और राम लाल ने संकोच के साथ बड़े भाई श्याम लाल को देखा । तभी नन्दू बाहर आकर बोला—"बापू । तुमको अम्मा भीतर बुला रही है ।" राम लाल नन्दू के साथ उठकर भीतर चला गया और मास्टर जी श्याम लाल के साथ बैठे रहे ।

राम लाल ज्यों ही भीतर पहुंचा तो रामो तेज आवाज में बोली—"मास्टर को लाने की क्या जरूरत पड़ गई ?"

"मैं उन्हें थोड़े ही लाया वह तो⋯" बात काटकर रामो गुस्से में बोली, "और ये जेठ जी यहां क्या करने आए हैं ? कान खोल कर सुन लो, मैं नन्दू को स्कूल नही भेजूंगी ।"

राम लाल गुस्से में आ गया और चीखकर बोला—"बेवकूफ हो गई है तू। किसी बड़े-छोटे का लिहाज ही नहीं रहा । मास्टर जी बेचारे दया करके घर पर आए हैं और तू बेवकूफ की तरह उल्टी बात कर रही है ।" फिर थोड़ा शांत भाव में बोला—"चल चलके उनकी बात तो सुन ले । घर आए की शरम तो करनी ही चाहिए ।" राम लाल की बात सुन कर रामो दरवाजे के पीछे आकर खड़ी हो गई । राम लाल ने मास्टर जी से आकर कहा कि रामो दरवाजे के पीछे खड़ी है, आप बात कर लीजिए । बड़े भैया और मैं बाहर बैठक में बैठते हैं । रामो पर्दा करती है बड़े भैया से, बाहर नहीं आएगी ।

मास्टर जी उठकर भीतर चले गए । दरवाजे के पीछे रामो घूंघट काढ़े खड़ी थी । नन्दू उसकी धोती पकड़े हुए खड़ा था । मास्टर जी ने राम लाल की घर वाली से पूछा—"क्या बात है बहन जी । आप अपने बेटे को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहतीं ? क्या आप नहीं चाहती हैं कि आपका लड़का पढ़-लिखकर बड़ा आदमी बने, उसकी सब लोग इज्जत करें ?"

रामो चुपचाप खड़ी रही । सिर्फ पैर के अंगूठे से धरती कुरेदती रही । मास्टर जी ही ने फिर बात शुरू की । "सुना है कि आप तो स्कूल को कसाईखाना कहती हैं ?"

"कसाईखाना ही तो है तुम्हारा स्कूल जहां मार-मार कर बच्चों के हाथ-पैर तोड़ दिए जाते हैं ।" रामो ने धीमी आवाज से कहा ।

"इस गांव में कौन से बच्चे के हाथ-पैर टूटे हैं, मुझे बताइए । मैं भी तो जानूं ?" मास्टर जी ने रामो से पूछा ।

"हमारे गांव में मेरे ताऊ के लड़कों को स्कूल के एक मास्टर ने बीड़ी पीने की जरा सी बात पर इतना मारा कि एक का तो हाथ टूट गया था। आज तक भी उसका हाथ बेकार हुआ पड़ा है । कुछ काम-धंधा करने लायक भी नहीं रहा विचारा।" रामो ने मन की गांठ खोलकर रख दी ।

मास्टर जी एक क्षण तो चुप रहे । फिर ढाढ़स देते हुए बोले—"देखो बहन जी सब उंगलियां बराबर नहीं होतीं । हो सकता है, आपके ताऊ जी के लड़के को जिन मास्टर जी ने पढ़ाया हो, वे क्रोधी हों या फिर अचानक हाथ में चोट लग गई हो । फिर भी उनकी गलती तो थी ही । उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं । आप विश्वास रखिए, हमारे स्कूल में सब अध्यापक बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह प्यार करते हैं । यहां तो हम किसी को नहीं मारते ।"

रामो के मन में अभी भी शंका थी । वह चुप खड़ी थी । मास्टर जी ने फिर पूछा । "क्या मेरी बात पर यकीन नहीं आपको ?"

रामो बोल पड़ी—"यकीन तो है मास्टर जी, लेकिन⋯"वह रुक गई ।

"लेकिन क्या ? साफ कहिए क्या बात है ?"

"जी बात यह है कि···"रामो फिर चुप हो गई, तो मास्टर जी ने स्नेह भरे स्वर में कहा—"मैं तुम्हारे बड़े भाई के समान हूं बहन जी। बताइए, क्या बात है आपके मन में ?"

"जी बात यह है कि नन्दू मेरा एक ही तो बेटा है। पढ़-लिख लेगा तो फिर नौकरी के लिए कहीं दूर चला जाएगा और तब हमारी आंखों से इसे दूर रहना पड़ेगा। मैं इसे दूर नहीं भेजना चाहती, मास्टर जी।"

रामो की बात सुनकर मास्टर जी थोड़ी देर तक हंसते रहे और फिर बोले "वाह, बहन जी। आप बीस साल बाद की बात के लिए आज से ही परेशान हैं। क्या आप नन्दू को अनपढ़-गंवार रखकर दर-दर का भिखारी बनाना चाहती हैं ?"

रामो ने कुछ जवाब नहीं दिया और चुपचाप नन्दू के सिर पर हाथ फेरती रही।

मास्टर जी ने फिर कहा—"सुनो बहन जी। अपने मोह के कारण इस बच्चे का जीवन खराब मत करो। ज्ञान पाकर जब एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा, तब जो सुख आपको मिलेगा, वह सचमुच अनोखा होगा।"

"लेकिन·····" रामो फिर अटक गई।

"सुनो नन्दू की मां। अगर माता कौशल्या भगवान राम को 14 वर्ष वन में जाकर रहने की आज्ञा न देतीं तो क्या राक्षसों का कभी नाश होता। क्या माता यशोदा ने अपने दिल के टुकड़े कृष्ण कन्हैया को कंस को मारने के लिए मथुरा नहीं भेजा था ? फिर तुम अपने बेटे को घर में बन्द क्यों रखना चाहती हो ? क्या यह अन्याय नहीं है ?" मास्टर जी भावावेश में कहते जा रहे थे।

रामो बोल पड़ी—"अब भला मैं क्या कहूं, मास्टर जी। मैं ठहरी अनपढ़-गंवार। मैं कभी पढ़ी नहीं, इसलिए पढ़ने का फायदा मुझे क्या पता। मैं तो सोचती थी कि स्कूल में जाकर नन्दू तकलीफ उठाएगा। अब मैं इसे नहीं रोकूंगी मास्टर जी। कल इसका नाम लिखाने स्कूल भेज दूंगी।"

"भला कल क्यों भेजोगी, आज ही क्यों नहीं ? शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए।" मास्टर जी खुश होकर बोले। रामो ने नन्दू से कहा कि जाकर बापू को बुला लाए। इतने में ही राम लाल की लड़की भी वहां आकर खड़ी हो गई। मास्टर जी ने रामो से पूछा—"कितने बच्चे हैं तुम्हारे ?

"जी यह नन्दू और दो लड़कियां। दो पिछले साल हैजे से मर गई थीं। सबसे बड़ी उपले पाथ रही है।" रामो ने बताया।

"इस लड़की का नाम क्या है ?"

"लछमी"

"पढ़ने जाती है या नहीं ?"

"नहीं तो"

मास्टर जी की बात चल ही रही थी कि राम लाल नन्दू के साथ भीतर आ गया। मास्टर जी ने कहा—"राम लाल नन्दू को स्कूल में भर्ती कराने चलो मेरे साथ, तुम्हारी पत्नी मान गई है।"

राम लाल पुलक कर बोला-"सच ?" रामो ने सिर हिला दिया और बोली—"मास्टर जी को बिठाए रखना, मैं दूध भिजवाती हूं, पीकर ही जाएंगे।"

रामो की बात सुनकर मास्टर जी खुश होकर बोले—"देखो बहन जी। एक बात तो आपने मेरी मान ली। दूसरी भी मानो तो मैं दूध जरूर पीकर जाऊंगा।"

"हां-हां मास्टर जी। कहिए, जरूर मानूंगी।"

"अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजिए। इन्होंने क्या गलती की है जो इन्हें ज्ञान से दूर रखकर आप अनपढ़ रख रही हैं ? अब तो गांव में लड़कियों का अलग स्कूल भी है।"

रामो आश्चर्य से बोल पड़ी "लड़कियों को भी स्कूल में भर्ती करा दूं ? क्या कह रहे हैं मास्टर जी ? इन्हें कौन सी पढ़-लिखकर नौकरी करनी है ? जहां जाएंगी, चूल्हा ही तो फूंकेंगी। इन्हें तो रहने ही दो।"

मास्टर जी बोले—"तब दूध भी रहने ही दो।"

"वाह भला यह कैसे हो सकता है ?" राम लाल बोला।

"जैसे तुम्हारी लड़कियां मैली-कुचैली रह सकती हैं, जैसे दो-दो लड़कियां गन्दगी के कारण हैजे से मर सकती हैं ? जैसे बिना नहाए यह रह सकती हैं, वैसे ही बिना दूध पिए मैं भी जा सकता हूं, राम लाल।" मास्टर जी ने गम्भीर होकर कहा।

"लेकिन ये तो लड़कियां हैं·····" राम लाल बोला।

"क्या लड़कियां तुम्हें प्यारी नहीं हैं राम लाल ? फिर उन्हें लड़कों से नीचा क्यों मानते हो तुम ? देखते नहीं तुम्हारी लड़की नहाई नहीं, इसलिए इसका शरीर सड़ रहा है ? बीमारियां इसीलिए तो होती हैं।" आवेश में मास्टर जी बोल पड़े।

"नाराज न होइए, मास्टर जी! आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं नन्दू के साथ लछमी और रधिया को भी पढ़ने भेजूंगी। अब तो आप दूध पिएंगे न ?" रामो ने प्रार्थना की।

"जरूर बहन जी जरूर" मास्टर जी गदगद होकर बोल पड़े। बाहर से श्याम लाल बोले—"मास्टर जी, मेरा ध्यान भी रखिएगा, मैं भी अभी यहीं बैठा हूं।"

बाहर आते हुए मास्टर जी बोले "आपके बिना दूध हजम कैसे होगा श्याम लाल जी।" और तभी रामो ने दो गिलासों में गर्म दूध करके राम लाल को दिया और नन्दू को तैयार करने लगी।

दूध पीकर श्याम लाल बोल पड़ा—"आज तो आपको स्कूल के लिए देर हो गई मास्टर जी ?"

"नहीं, नहीं, श्याम लाल जी। यह देर बहुत शुभ है। अगर आज मैं यहां न आया होता तो सचमुच बहुत देर हो जाती। अब तो मैं सही वक्त पर पहुंच रहा हूं।" और यह कहकर मास्टर जी स्कूल की तरफ चल दिए। श्याम लाल ने हल-बैल संभाले और राम लाल नन्दू का हाथ पकड़ कर स्कूल की तरफ चला। □

छोटा परिवार सुखी परिवार

पहला सुख निरोगी काया

वसन्त काल में ऋतु जन्य रोग और उनका उपचार

महेन्द्र पाल सिंह

मनुष्य जब प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन बिताता है तो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ बना रहता है। परन्तु जब वह इन नियमों का उल्लंघन करता है तो प्रकृति महारानी का कोप भाजन बन जाता है। जब ऋतु परिवर्तन होता है तो प्रकृति स्वतः ही शरीर से उन दोषों को निकालती है जो पूर्व ऋतु में संचित हो जाते हैं। इससे शरीर में जो विकार पैदा होता है उसे ऋतु जन्य रोग कहते हैं। इस संबंध में आयुर्वेद का विधान है कि जो दोष शीत ऋतु में संचित हों उनका वसन्त में, जो ग्रीष्म में संचित हों उनका वर्षा काल में और वर्षा में संचित दोषों का शरद ऋतु में शोधन कर देना चाहिए। शोधन विरेचन और वमन कारक औषधियों से होता है। इससे शरीर शुद्ध हो जाता है और मनुष्य ऋतुज रोगों का शिकार नहीं हो पाता।

वसन्त काल में कफ कुपित होता है जो शीत ऋतु में संचित हो जाता है। इसलिए मार्च-अप्रैल के महीनों में जुकाम, खांसी, बुखार, पेचिस, बच्चों में खसरा, चेचक आदि का प्रकोप देखा जाता है। इन दिनों मच्छर भी अधिक पैदा हो जाते हैं। अतः मलेरिया का प्रकोप भी हो जाता है। इससे धन-जन की हानि होती है। फसल का मौका होता है, इसलिए यदि किसान बीमार पड़ जाए तो उसकी फसल नष्ट हो जाती है। विद्यार्थी बीमार पड़ जाए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने में खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए अच्छा यही है कि पहले से ही रोग की रोकथाम की जाए ताकि इलाज की जरूरत ही न पड़े। यदि शरीर रोगाक्रान्त हो जाता है तो रोग का औषधियों से उपचार करना चाहिए। चूंकि वसन्त में कफ कुपित होता है, अतः कफ दोष को निकालने के लिए निम्न प्रयोग काम में लाने चाहिए :

जुकाम-खांसी

बन्दाल के सूखे पत्तों के चूर्ण को ओंगा और नीम के पत्तों के काढ़े में शहद और सेंधा नमक डालकर पिलाने से वमन होता है और उससे कफ दोष निकल जाता है।

मनफल, ओंगा और नीम के पत्तों के काढ़े में शहद और सेंधा नमक डालकर पीने से भी कफ की उल्टियां होती हैं। बन्दाल के फल का चूर्ण शहद में मिलाकर चाटने से वमन और विरेचन दोनों होते हैं। इनके अलावा नाराच रस एक आयुर्वेदिक औषध है। इस औषध से नाभि के मध्य भाग का लेपन करने से अथवा इसकी गंध सूंघने से ही विरेचन हो जाता है। सेहुंड की जड़ के चूर्ण को गर्म जल के साथ सेवन करने से भी विरेचन हो जाता है। इसके अलावा वृहद इच्छावेदी रस आदि अनेक विरेचक दवाइयां हैं। परन्तु वमन और विरेचक औषधियों का सेवन किसी योग्य वैद्य की देख-रेख में ही करना चाहिए क्योंकि इन औषधियों का सही ढंग से प्रयोग न करने से भी अनेक रोग पैदा हो सकते हैं।

वसंत में शरीर शोधन के न करने पर जुकाम खांसी के रूप में कफ का निस्सरण होता है। जब जुकाम के पानी जैसा बलगम निकलता हो तो उस समय ऐसी दवाई नहीं देनी चाहिए जिससे उसके निकलने में रुकावट आए और खुश्क हो जाए। केवल गर्म पानी पीना चाहिए। चिकनाई से परहेज करना चाहिए। यदि सम्भव हो तो उपवास करना चाहिए। जुकाम के रोगी के लिए यह कहावत मशहूर है रूखा, सूखा, भूखा। इस तरह जुकाम तीन दिन में ठीक हो जाता है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। यदि कुपथ्य से जुकाम बिगड़ जाए और पीला-पीला बलगम आने लगे और खांसी भी पैदा हो जाए तो उस हालत में जुशांदे का प्रयोग करना चाहिए। जुशांदा प्रायः बाजार में आमतौर से मिल जाता है। कफ-खांसी में बासावलेह, कंटकारी अवलेह का प्रयोग करना चाहिए। साधारण खांसी में अदरक का रस शहद में मिलाकर चाटना चाहिए।

खसरा

खसरा एक भयंकर रोग है । इस का प्रकोप अक्सर बच्चों पर होता है । कभी-कभी प्रौढ़ भी इसके चंगुल में फंस जाते हैं । इसमें पहले ज्वर होता है । आंख-नाक से पानी चलना आरंभ हो जाता है। आंखें चढ़ी हुई और लाल दिखाई देती हैं । बेचैनी रहती है । दो-तीन दिन तक बुखार रहने के बाद शरीर पर छोटे-छोटे लाल रंग के दाने दिखाई पड़ते हैं । बुखार बना रहता है । जब ज्वर कम होने लगता है तो दाने भी मुरझाने लगते हैं और रोगी ठीक हो जाता है । परन्तु इस रोग में कुपथ्य अथवा सर्दी लगने से निमोनिया आदि उपद्रव पैदा हो जाते हैं । पेचिस भी इसका एक उपद्रव है । इनसे रोगी की जान खतरे में पड़ जाती है । अतः रोगी को इन उपद्रवों से बचाए रखने के लिए बहुत सावधानी बरतनी चाहिए । खसरे में ज्वर हो जाने पर रोगी को अधिक जल न पीने दें । उसे निर्वात गृह में रखें और शरीर पर भांग के चूर्ण का मर्दन कर उसे कपड़े से बांध दें । रुद्राक्ष और काली मिर्च का चूर्ण बासी पानी के साथ पीने से खसरा शांत होता है । करेली के पत्तों के रस में हल्दी के चूर्ण का सेवन करने से खसरे का ज्वर शान्त होता है । अंटकटारा की जड़ और दुरालाभा की जड़ के चूर्ण को चावल के पानी के साथ पीने से खसरा शान्त हो जाता है। बासी जल में शहद मिलाकर पीने से खसरे के दाने तथा उनसे उत्पन्न जलन खत्म होती है । इनके अलावा सर्वतोभद्र रस, दुरालभारस, इन्दुकला-वटिका खसरे की उत्तम आयुर्वेदिक औषधियां हैं ।

मलेरिया

इन दिनों मच्छर बहुत पैदा हो जाते हैं और मलेरिया फैल जाता है । मलेरिया एक भयंकर रोग है । इससे धन-जन की भारी क्षति होती है । इसकी रोकथाम के लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है । परन्तु फिर भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका है । आयुर्वेद में मलेरिया के प्रकोप को शान्त के लिए अनेक औषधियां हैं । इसे आयुर्वेद में विषम ज्वर कहा जाता है । इसके उपचार के लिए विष-मज्वरान्तक लौह, पुटपक्क विषमज्वरान्तक लौह, विषमज्वरहर लौह आदि औषधियां हैं ।

[पृष्ठ 22 का शेष]

भारती' ने कदम उठाया । लकड़ी के फर्नीचर बनाना, जूते बनाना, दर्जी के काम आदि के लिए बैंक से कर्जा दिलाकर काम शुरू किया । पन्द्रह कुटीर उद्योग हाथ में लिए, पर उत्पादित माल के लिए बाजार की समस्या उत्पन्न हुई । गरीबी के कारण बाजार नहीं मिला । फिर भी इन कुटीर उद्योगों के माध्यम से 1 लाख जनसंख्या में 100 परिवारों को ही रोज-गार देने में सफलता मिल सकी । सन 1976 में क्षेत्र के 1000 पम्प सेटों को सुधारने के लिए ग्रामीण युवकों का एक समूह तैयार किया गया । यह चलता फिरता दल झोले में औजार लेकर घूमता था । उन्हें भी रोजगार मिल सका और बिगड़े पम्पसेट आसानी से सुधरने लगे ।

समस्याओं का सामना

ग्रामीण क्षेत्र में काम करने में कई समस्याएं-बाधाएं भी सामने आईं । ऐसा नहीं कि रास्ता सीधा था । गांव में एक मालगुजार ने 150 एकड़ भूमि, सरकार से 100 रु० की सालाना लीज पर प्राप्त कर रखी थी । इस पर पेड़ लगा-कर वह 50,000 रुपये वार्षिक आय प्राप्त करता था । लेकिन इस पर काम करने वाले मजदूरों को कोई लाभ नहीं हुआ । किशोर भारती द्वारा गांव के प्रति वयस्क व्यक्ति को आठ आने या एक रु० की दर पर एक लाख का पेड़ देने योजना बनाई गई । गांव वाले प्रसन्न-सहमत हुए । लेकिन दूसरे दिन मालगुजार के दबाव-भय के कारण कोई नहीं आया । ग्रामीण तो राजी थे, पर बड़े लोगों द्वारा विरोध हुआ ।

रोगों के प्रति चेतना

इसी वर्ष एक 'टी०बी० शिविर' का आयोजन किया गया । इसका उद्देश्य तपदिक की चिकित्सा करना नहीं, वरन् गांवों में इस रोग का सर्वे कर गांव वालों में समस्या और बीमारी के प्रति चेतना उत्पन्न करना था । सर्वे के दौरान पाया गया कि गांव के हर तीसरे घर में तपेदिक है । इसका कारण उनकी गरीबी और रहन-सहन का निम्न स्तर है । अभी तक तपेदिक रोग का इलाज गांव में एक निजी डाक्टर कर रहा था । जब गांव वालों को समझाया गया तब उन्होंने रोग की गम्भीरता समझी और समीप के सरकारी अस्पताल में मरीजों के जाने की संख्या बढ़ गई ।

डा० अनिल सदगोपाल यह मानते हैं कि पुरस्कार उन्हें व्यक्तिगत रूप से किसी एक विशेष कार्य के लिए नहीं मिला वरन् उनके साथ कार्यरत सभी साथियों को इन विविध कार्यों के लिए मिला है । वे सभी रचनात्मक, शैक्षणिक और आर्थिक कार्य जो पिछले वर्षों में डा० सदगोपाल और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए उनके दौरान अनेक समस्याएं भी आईं। सफलता भी मिली और असफलता भी लेकिन वह न समस्याओं–असफलताओं से निराश हैं, न सफलताओं से संतुष्ट । उनका कहना है कि केवल कुछ लोगों के ही जागरूक होने से ही सफलता संभव नहीं, एक 'शक्ति' तैयार करने की जरूरत है तथा इन कार्यों में अधिक लोगों का योगदान आवश्यक है । □

तेल की हर बूंद कीमती है इसे बचाइये!

साहित्य समीक्षा

राजभाषा हिन्दी की कहानी : लेखक : डा रामबाबू शर्मा, प्रकाशक : अंकुर प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 127, मूल्य : पैंतीस रुपये ।

उक्त पुस्तक में राजपूतों, मुगलों, मराठों, अंग्रेजों तथा स्वतंत्र भारत के प्रशासन में हिन्दी के प्रयोग की गवेषणापूर्ण कहानी है । अनेक रोचक तथा ज्ञानवर्धक प्रसंगों और अभिलेखों का यह संग्रह लेखक के गंभीर अध्ययन तथा अध्यवसाय का परिचायक है । पुस्तक में दिए गए कुछ तथ्य रोचक और ज्ञानवर्धक हैं ।

मुहम्मद गौरी ने अपने शासन का कामकाज देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा के माध्यम से किया । उनके सिक्कों पर हिन्दुओं की भाषा और देवी-देवताओं के चिह्न अंकित थे । सिक्कों पर देवनागरी लिपि में श्री हम्मीर और श्री महमूद साम अंकित था । अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजकाज से संबंधित नियमों व उपनियमों की लाखों प्रतियां गाड़ियों में लदवाकर अपने शासन के सुदूर दक्षिण प्रदेशों तक भिजवाई थीं ।

दिल्ली से गए अभिजात वर्ग के मुसलमान तथा दक्खिन के आफाकी मुसलमानों का सम्पर्क स्थापित कराने में हिन्दी भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की तथा दक्षिण के विभिन्न प्रान्तों में मुसलमान उच्च अधिकारियों और जनता के बीच हिन्दी ने सम्पर्क का काम किया ।

अकबर का 'अमल दस्तूर' एक मशहूर दस्तावेज है । यह एक प्रकार का संविधान है जिसमें सम्राट अकबर के आदेश हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि में 14 पृष्ठों में हैं और राजस्थान अभिलेखागार, बीकानेर में सुरक्षित हैं ।

मुगल सम्राटों और राजपूत नरेशों की आज्ञानुसार कुछ 'ख्यात' देवनागरी लिपि में लिखी हुई हैं। भाषा राजस्थानी है । इब्राहीम आदिल ने फारसी की जगह हिन्दी का इस्तेमाल किया। यह भाषा उर्दू न होकर ब्रज है ।

मराठों के राजकाल की भाषा भी हिन्दी थी । यह हिन्दी फारसी-अरबी शब्दों से लदी और व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पर है मिलीजुली हिन्दी–मराठी । कचहरी, अदालत, तैनात मालगुजारी, दसखत, दीवानी, मोहर, मोखतार नामा आदि हजारों उर्दू के तत्सम और तद्भव शब्द हैं । मराठी पत्रों में एक पत्र ऐसा भी है जिसका मूल पत्र मराठी भाषा में है तथा बाद में देश भर में राजाओं आदि को सूचित करने के लिए उक्त पत्र का अनुवाद हिन्दी में कराया गया था । यह पत्र बालाजी जनार्दन (नाना फड़नबीस) द्वारा तत्कालीन जयपुर नरेश सवाई प्रतापसिंह को सन् 1783 में लिखा गया था ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्रशासन संबंधी हिन्दी दस्तावेजों का विशाल संकलन है । पुस्तक में इन से बहुत से उद्धरण पेश किए गए है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हिन्दी का प्रयोग प्रशासन में किसी न किसी रूप में पांच-छः सौ साल से होता आया है । आखिर, प्रशासन की भाषा तो वही होगी जिसमें अधिकतम जनता के लोगों से सम्पर्क कायम किया जा सके । स्वतंत्र भारत में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई । इस आयोग का विचार है कि प्रायः भारत की अन्य भाषाओं तथा हिन्दी की तुलना की जाती है और सामान्यतः हिन्दी अपनाने से होने वाली हानियों के बारे में बताया जाता है परन्तु हिन्दी को इसलिए नहीं स्वीकारा गया कि वह अन्य भाषाओं से श्रेष्ठ है या ज्ञान विज्ञान में समृद्ध है बल्कि इसलिए कि 42 प्रतिशत हिन्दी भाषी तो इसे समझते-बोलते हैं ही, इसके अलावा भी अहिन्दी प्रान्तों, तीर्थस्थलों में भी यह बोली समझी जाती है ।

देश के मूर्धन्य चिन्तकों और नेताओं ने, जो कि हिन्दी भाषी नहीं थे, हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाने पर बल दिया है । इनमें स्वामी दयानन्द, केशवचन्द्र सेन, सुभाषचंद्र बोस, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक प्रभृति अनेक मनीषी हैं। पुस्तक हिन्दी के शानदार अतीत की कहानी है।

तेरहवीं सदी में इंगलैंड का क्या हाल था ? इस तथ्य को भी यदि दिया जाता तो बेहतर था । बहुत समय तक वहां फ्रेंच न जानने वालों को हीन समझा जाता था । वही सुसंस्कृत लोगों की भाषा थी । और तो और न्यूटन जैसे विश्वविश्रुत गणितज्ञ ने अपना मूल ग्रन्थ पहले लैटिन में लिखा था और स्वयं उसका अनुवाद बाद में अंग्रेजी में किया क्योंकि विद्वानों की भाषा लैटिन मानी जाती थी । परन्तु शनैः शनैः अंग्रेजी का आत्मसम्मान जगा और आज अंग्रेजी विश्व की समृद्ध भाषा है और उसका साहित्य भी समृद्धतम है । इतना होते हुए भी एक विद्वान का मत है कि अंग्रेजी शब्दकोश के प्रति चार शब्दों में लगभग तीन शब्द विदेशी मूल के हैं । आज की अंग्रेजी में लगभग 15 प्रतिशत शब्द ही मूल अंग्रेजी के रह गए हैं। इस संदर्भ में हिन्दी की हालत क्या तत्कालीन अंग्रेजी से बदतर है ? प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी की शब्द–सामर्थ्य और विशाल जनसमुदाय द्वारा लम्बे समय से इसके प्रयोग पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है ।

यह अपनी तरह का पहला गवेषणात्मक स्तुत्य लेखा-जोखा है । इससे हिन्दी भाषा की प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण परम्परा की झांकी मिलती है । प्रूफ की भूलें अलबता अखरती ह । □

ब्रजलाल उनियाल

हमारी पुरातन कथाएं : सम्पादक: वियोगी हरि, प्रकाशक: सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 118, मूल्य : 4.50 रु० ।

हमारा प्राचीन धार्मिक साहित्य अनेक उदात्त और प्रेरक विचारों से परिपूर्ण है। लेकिन संस्कृत, प्राकृत और पाली में होने के कारण सभी लोग उससे लाभ नहीं उठा सकते। इसके अलावा, ये प्रेरक प्रसंग धार्मिक साहित्य में उसी प्रकार समाए हुए हैं जिस प्रकार समुद्र में मोती। अब विशाल सागर के गर्भ से मोती निकालने का साहस, धैर्य और समय कितनों के पास होता है?

इस दृष्टि से इस पुस्तक का प्रकाशन स्तुत्य और सराहनीय है। इसमें सम्पादक ने हिन्दू, बौद्ध और जैन धर्मग्रंथों की 25 ऐसी कथाओं का संग्रह किया है जो "व्यक्ति को जीवन का धर्म और मर्म" समझने में सहायता देती हैं। पुस्तक में आठ वैदिक, नौ पौराणिक, तीन बौद्ध, दो जैन और तीन संत कथाएं हैं। विषय की दुरूहता और जटिलता के बावजूद बात इतनी सीधी-साधी और सरल भाषा में कही गई है कि वह पाठक के मन को छू लेती है।

वैदिक कथाओं में, अनेक अन्य कथाओं के साथ, नचिकेता की कथा है जिसने आत्मतत्व का रहस्य प्राप्त किया, जाबाला सत्यकाम की कथा है जिसने लोकोपवाद के भय से भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, सत् का रहस्य, आरुणि और उसके पुत्र श्वेतकेतु की कथाएं हैं जो मन पर अमिट प्रभाव छोड़ जाती हैं। पौराणिक कथाओं में रामायण की कथा, यक्ष एवं युधिष्ठिर का संवाद है। पुस्तक पाठक के सामने आध्यात्म के द्वार खोल कर एक और दुनिया की झांकी प्रस्तुत करती है। इस दृष्टि से इसे आध्यात्म प्रवेशिका कहा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पुस्तक को पढ़कर अनेक पाठक इस विषय पर अधिक विस्तृत पुस्तकें पढ़ना चाहेंगे। इसके लिए पुस्तक के सम्पादक और प्रकाशक दोनों बधाई के पात्र हैं।□

नवीन चन्द्र पन्त

हमारी संस्कृति के प्रतीक : लेखक : महादेव शास्त्री जोशी, अनुवादक : विष्णु दत्त 'विकल', प्रकाशक : सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 125, मूल्य : 6 रुपये ।

प्रस्तुत कृति मराठी भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक महादेव शास्त्री जोशी की लोकप्रिय पुस्तक 'संस्कृति चे प्रतीकें' का हिन्दी अनुवाद है, परन्तु अनुवाद इतना सुन्दर बन पड़ा है कि यह अनुवाद न लगकर हिन्दी की मूल रचना प्रतीत होता है। भारतीय संस्कृति का पूर्ण परिचय देने वाले तेरह प्रतीकों का वेदों, पुराणों, शास्त्रों, साहित्यिक ग्रन्थों, जनश्रुतियों, किंवदन्तियों तथा ऐतिहासिक कथाओं के आधार पर चित्रण किया गया है। ये प्रतीक हैं अर्द्धनारीश्वर, ओंकार, कमल, कलश, गजलक्ष्मी, त्रिमूर्ति, दीपशिखा, धर्मचक्र, नटराज, बोधिवृक्ष, योगीश्वर और शेषशायी, सरस्वती एवं स्वस्तिक। इन प्रतीकों के इतिहास तथा अन्य प्रकरणों के साथ दिए गए विभिन्न चित्र एवं आकृतियां पुस्तक के विषय को और भी उजागर कर देती हैं। स्थान-स्थान पर दिए गए अर्थसहित संस्कृत-श्लोक तथा अन्य भाषाओं के काव्यों के उदाहरण प्रस्तुत विषय को सरल तथा सुबोध बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। इन प्रतीकों के सांगोपांग चित्रण में औपन्यासिक शैली का प्रयोग विषय की रोचकता को बढ़ा देता है।

प्रस्तावना में मूर्ति एवं प्रतीक का अंतर बताते हुए प्रतीक की परिभाषा तथा उदाहरण देकर लेखक ने पाठकों की जिज्ञासा को उत्प्रेरित किया है। सभी प्रतीकों के ऐतिहासिक, पौराणिक, आध्यात्मिक, कलात्मक अंगों की 'गागर में सागर' रूप से जानकारी दी गई है। मुद्रण की दृष्टि से भी प्रस्तुत पुस्तक सुन्दर तथा आकर्षक बन पड़ी है। □

हरिवंश अनेजा

अफ्रीका की लोककथाएं : लेखक रमेश वक्षी, प्रकाशक : राजपाल एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 40, मूल्य : 5 रुपये ।

बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, रोचक और मनोरंजक पुस्तकों का हिंदी में अभी काफी अभाव है। इस अभाव को पूरा करने के अभी तक छुट-पुट प्रयास ही हुए हैं और जो कुछ अभी तक लिखा गया उसमें अधिकांश भूत-प्रेतों की कहानियों के माध्यम से बाल साहित्य के नाम पर किए गए प्रयोग हैं। ये बच्चों को कुछ सिखाने की बजाय उन्हें भीरु बनाती हैं।

लोककथाएं किसी भी देश और समाज की विरासत हैं और उन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए। लोककथा माला के अन्तर्गत संसार के अनेक देशों की लोकथाएं अब तक प्रकाशित हुई हैं। 'अफ्रीका की लोककथाएं" भी उसी शृंखला की एक कड़ी है।

प्रस्तुत पुस्तक में नौ लोककथाएं हैं। ये लोककथाएं रोचक और शिक्षाप्रद हैं। □

देवेन्द्र उपाध्याय

-: हमारी संपदा हमारे वन :-

नशाबंदी

मोहम्मद उस्मान आरिफ

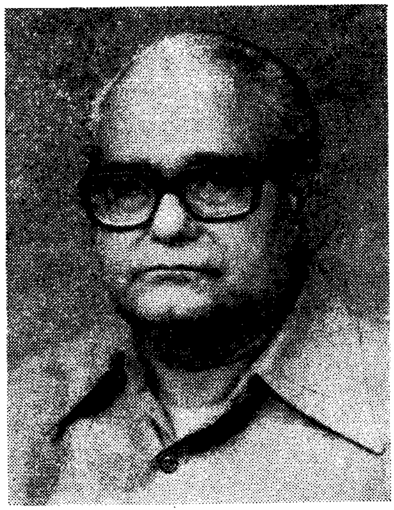

मद्यपान एक सामाजिक बुराई है। इस सामाजिक अभिशाप के विरोध और मद्यनिषेध के पक्ष में केन्द्रीय निर्माण और आवास उपमंत्री श्री मोहम्मद उसमान आरिफ की नज्म "नशाबंदी" यहां प्रस्तुत है।

कितना अच्छा फैसला है बन्द हो पीना शराब
खाक में मिलता है इस से मुल्क का हुस्नोशबाब
ये मुसीबत मुस्तकिल है ये मुसल्सल है अजाब
चन्द कुन्बे ही नहीं करती है ये नसलें खराब
हर बुराई की है मां ये हर बुराई इसमें है।
मुल्को-मिल्लत की तबाही जग हंसाई इसमें है।

दाग है इन्सानियत का ऐसी लानत है शराब
दुश्मने दीन दुश्मने नामूसो इज्जत है शराब
भेस में ऐशो-खुशी के एक जिल्लत है शराब
कोढ़ है तहजीब का नंगे शराफत है शराब
बादशाहों हुकमरानों को पलट देती है ये।
राज और सरकार का तख्ता उलट देती है ये।

इक हसीं कातिल है ये रंगीनीए जामे शराब
गरक इसमें हो गए आलीनसब इज्जत मोआब
कर दिए बरबाद इन्सां बेशुमारो बेहिसाब
दो जहां की है ये लानत दो जहां का ये अज़ाब
जिसने इसको छू लिया गुमराह यक्सर हो गया।
जिसने इसको पी लिया शैतां से बदतर हो गया।

खोखला कर देती है बीमारियां सब जिस्मो जां
वो बदन भभके, वो बदबू आए तौबा अल्अमां
चेहरे पे बरसे नहूसत भिनभिनाएं मक्खियां
पांव में लगजिश बदन में रशा बेकाबू जबां
घर पर मंड़राई रहती है आफत रातदिन।
सामने जैसे हो मैदाने कयामत रातदिन।

गालियां इसको बके तो हाथ उस पर छोड़ दे
हाथा-पाई पर उतर आए कलाई मोड़ दे
आलमे-बेहूदगी में घर के बर्तन तोड़ दे
धौल-धप्पा वो करे बीबी का सर तक फोड़ दे
जीते जी दुनिया में दोजख का नमूना जिन्दगी।
एक लानत बन के रहता है शराबी आदमी।

जाहिरो-बातिन सभी में गन्दा हो जाता है ये
बेहयाई का हवस का पुतला हो जाता है ये
होश खो देता है इतना अंधा हो जाता है ये
मां बहन के सामने हीं नंगा हो जाता है ये
शर्म से झुकती हैं आंखें जब शरीफ इंसान की।
कैसे हालत देखने में आए इस हैवान की।

कैसी बीबी किसके बच्चे कैसी इज्जत किसका घर
नालियों सड़कों पे पड़ जाता है मस्तो बेखबर
करते हैं पेशाब कुत्ते इसके मुंह पर जिस्म पर
अशरफे मखलूक की दुरगत हो ऐसी अलहजर
आसमां नफरी करे लानत पड़े अहले जमीं।
फिर शराबी, आदमी कहलाए इस काबिल नहीं।

महफिलों ही में नहीं है सोहबते दिलदार में
राम रंगी के मजे हैं कूचाओ बाजार में
एक दुनिया अब बही जाती है इस रफतार में
हर जगह मैकश है नंगा मस्तीए किरदार में
सच अगर पूछो तो है डूबा हुआ सारा समाज।
एक ही हम्माम में नंगे रियाया होके राज।

राज खुल जाएगा सारा देखने कोई तो जाए
होटलों की महफिल रंगीं नजारे क्या दिखाए
रक्स में हुस्नो जवानी मैके दरिया जब बहाए
आम पीने वाले क्या कहते हैं सुनलो उनकी राय
हम शराबी हैं मगर ऊंचे शराबी कौन हैं?
हम कबाबी हैं मगर ऊंचे कबाबी कौन हैं?

नाचघर नाइट क्लब में शगले मयनौशी है क्यों?
हाकिमों को अफसरों को छूट दे रखी है क्यों?
बन्द हैं मैखाने फिर घर-घर में ये बनती है क्यों?
ऊंचे तबकों में घरानों में हर इक साकी है क्यों?
पहले जो बंगले बने मखाने उनको तोड़िए।
चांदी सोने के जो हैं पैमाने उनको तोडिए।

क्या मिनिस्टर है खुदा कानून से बाला जीए
एम० पी०, एम० एल० ए० कोई जामे रंगी क्यों पीए
जो मुजिर सबके लिए है वो मुजिर उनके लिए
हमको वो तस्लीम है कानून जो तुमने दिए
हां मगर उन पर अमल करने में दो रंगी है क्यों?
आप ही सरकार कहिए चाल बेढंगी है क्यों?

RN 708/57
P&T Regd. No. D(DN)98
Licensed Under U (D)-55 to
Post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित